अंक २

संख्या ११

सत्यमेव जयते

बुधवार

२३ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३०३७—३०६०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३०६१—३०८२]

(मूल्य ४ आने)

445 PSD

लोक सभा

बुधवार, २३ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महिला छात्र-सैनिक

*२०२४. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा अकदमी, देहरादून में क्या अभी तक कोई महिला छात्र-सैनिक भरती हुई हैं ;

(ख) सन् १९५१-५२ में उन पुरुष छात्र सैनिकों की संख्या क्या थी जिन्होंने इस अकदमी में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और जिन्हें कमीशन मिला ;

(ग) इस समय कितने छात्र-सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) २५३।

(ग) संयुक्त शाखा (ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग)—४८५।

सेना-शाखा (मिलिट्री विंग)—५२५।

सरदार हुक्म सिंह : इस वर्ष म कितनी परीक्षायें हुईं और कितने कितने व्यक्तियों को चुना गया ?

श्री गोपालस्वामी : मैं समझता हूं कि मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। इस बारे में इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री दाभी: इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय हो रहा है ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिए।

सरदार हुक्म सिंह : इन प्रशिक्षण क्रमों में, पारस्परिक आधार पर, कितने विदेशियों ने भाग लिया ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे खेद है कि मेरे पास सूचना नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : इस वर्ष हमारे कितने छात्र-सैनिकों को बाहर भेजा गया ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, इन आंकड़ों का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री एस० एन० दास : इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए, मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय छात्र-सेना (नेशनल केडिट कोर) में से कितने पुरुष छात्र-सैनिकों को कमीशन दिया गया ?

श्री गोपालस्वामी : भाग (ख) के उत्तर में जिस काल के आंकड़े दिये गये हैं उसको छोड़ते हुए, ८ जून १९५२ और २६ जुलाई १९५२ को जिन छात्र सैनिकों ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है या करेंगे, उनकी संख्या यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं दे सकता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या महिला छात्र-सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत की किसी अन्य संस्था में कोई व्यवस्था है ?

श्री गोपालस्वामी : कुछ राज्यों में राष्ट्रीय छात्र-सेना में महिला छात्र-सैनिकों को भरती किया जाता है ; इसे छोड़ कर अन्य कोई ऐसी संस्था नहीं है।

चौ० रघुवीर सिंह : सन् १९५१-५२ में कितने छात्र-सैनिक भरती किये गये थे ?

श्री गोपालस्वामी : इन प्रश्नों का मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या महिला छात्र-सैनिकों के बारे में प्रशिक्षण की प्रणाली दूसरी है और क्या उनके उत्तरदायित्व भी भिन्न हैं ?

श्री गोपालस्वामी : वास्तव में, यहां कोई महिला अभ्यर्थी नहीं हैं।

सरदार हुक्म सिंह : स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद, इन छात्र-सैनिकों के प्रशिक्षण-क्रमों में क्या कोई नई बातें जारी की गई हैं ?

श्री गोपालस्वामी : नई बातें ? मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य किस ओर निर्देश कर रहे हैं। यदि आप किसी विशेष बात के बारे में पूछें, तो मैं बता सकूंगा।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल में इन छात्र-सैनिकों के लिये जो प्रशिक्षण-क्रम था क्या वही का वही अभी तक चल रहा है या स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद उसमें कुछ परिवर्त्तन किये गये हैं ?

श्री गोपालस्वामी : श्रीमान्, अंग्रेजों के जाने के बाद उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं।

नमक अनुसन्धान केन्द्र

*२०२५. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक नमक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां; तथा

(ग) उस पर क्या लागत होगी और उसका प्रबन्ध आदि कौन करेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) जी हां। ऐसा विचार है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में सौराष्ट्र स्थित भावनगर में एक नमक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाये।

एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री शिवनंजप्पा : अब तक इस नमक अनुसंधान केन्द्र ने क्या प्रगति की है ?

श्री के० डी० मालवीय : योजना अभी आरम्भ हुई है; सौराष्ट्र सरकार ने

भारत सरकार को काम शुरू करने के लिये ज़मीन और इमारतें किराये पर दी हैं।

श्री शिवनंजप्पा : क्या वहां मामूली नमक और रासायनिक नमक दोनों के बारे म अनुसंधान होगा ?

ी के० डी० मालवीय : जी हां। अनुसंधान केन्द्र का उद्देश्य सब प्रकार के नमक के बारे में अनुसंधान करना है।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार का अनुसंधान क्यों आवश्यक समझा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, ऐसा अनुभव किया गया कि देश में उत्पादित नमक की किस्म सधारने, उसे सस्ती क़ीमतों पर उपलब्ध कराने और प्रमापीकृत करने तथा उसके उपोत्पादों को उपयोग में लाने के लिये यह क़दम उठाने जरूरी हैं। इन्हीं कारणों से इस अनुसन्धान केन्द्र को स्थापित करना आवश्यक समझा गया।

श्री नानादास : बम्बई के वडाला स्थित नमक अनुसन्धान केन्द्र में क्या प्रगति हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : योजना के अन्तर्गत नमक के कुछेक "अग्रिम" फ़ार्म भी स्थापित किये जायेंगे और वडाला उन स्थानों में से एक है जहां इसे स्थापित किया जायेगा।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ को अनुसंधान में सहायता देने के लिये बुलाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : किसी विदेशी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : सौराष्ट्र के इस केन्द्र में क्या कोई आदर्श फ़ार्म भी होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। योजना के अन्तर्गत इसे स्थापित करन का विचार है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री से मैं यह पूछ सकता हूं कि सौराष्ट्र में जिस स्थान पर नमक अनुसन्धान केन्द्र बनाया है, वहां पर रिसर्च (अनुसन्धान) के लिये क्या सुविधायें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सौराष्ट्र इस प्रकार की रिसर्च के लिये एक सुविधा जनक स्थान है, इसलिये भावनगर चुना गया कि वहां पर यह रिसर्च स्टेशन क़ायम किया जाये।

अनाज, सुवर्ण तथा चांदी के मूल्य

*२०२६. **डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में अनाज, दालें, कपास, तिलहन की प्रति मन के हिसाब से तथा सोने चांदी की न्यूनतम क़ीमतें कितनी हो गई थीं; तथा

(ख) इनमें से प्रत्येक की १ जून, १९५२ को क़ीमतें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २**]

डा० पी० एस० देशमुख : क्या क़ीमतों में विशेषतः कपास की क़ीमतों में अब स्थिरता आई है, यदि हां तो कपास की जो न्यूनतम क़ीमत हो गई थी उसके ऊपर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

डा० सी० डी० देशमुख : प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में माननीय सदस्य को

विवरण से सूचना मिल सकती है। उसमें आंकड़े दिये हुए हैं और आप उनसे प्रतिशतता निकाल सकते हैं। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है किसी भी अवस्था पर यह कहना बहुत कठिन है कि क़ीमतें स्थिर हो गई हैं या नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : कपास की क़ीमतों में अस्थायी मन्दी आजाने के फलस्वरूप हुए राष्ट्रीय लाभ का क्या मंत्री महोदय ने आगणन किया है ? यदि किया है, तो वह क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं।

डा० पी० एस० देशमुख : अगले वर्ष, यदि ऐसी ही परिस्थितियां आयें तो उन परिस्थितियों में सरकार क्या सहायता देना सोचती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : राज्यों को खाद्य-सहायता बन्द करने का जो निश्चय किया गया है, क्या वह क़ीमतों में सामान्य रूप से मन्दी आजाने को रोकने के इरादे से किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं ।

श्री बंसल : हाल ही के महीनों में क़ीमतों में जो वृद्धि हुई है क्या सरकार उसे रोकने के लिये कुछ क़दम उठा रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, अल्प कालीन अवधि के संबंध में क़ीमतों की वृद्धि को रोकने के लिये कोई नीति निर्धारित करना संभव नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिये कि इस समय हम क़ीमतों का मार्च वाली न्यनतम क़ीमतों से मुकाबला कर रहे हैं और एक यह भी बात है कि उस समय से अब तक जो वृद्धि हुई है वह विशेष चिन्ताजनक नहीं है।

नृत्य, नाटक तथा संगीत अकदमी

*२०३१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार एक भारतीय, नृत्य, नाटक तथा संगीत अकदमी खोलने का है;

(ख) इस अकदमी के कार्य शुरु करने की कब तक आशा की जाती है ; तथा

(ग) इस अकदमी के खोलने की लागत क्या आयेगी ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) अकदमी स्थापित करने का काम आरम्भ हो गया है।

(ग) इस समय कोई ठीक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार देश के साहित्यिक तथा संगीत संबंधी कार्यकलाप को संगठित करने के लिये एक सांस्कृतिक न्यास स्थापित करना सोच रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

डा० राम सुभग सिंह : यह सुझाव नहीं है, श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। मैं यह कहने ही वाला था कि यह कार्यवाही के लिये सुझाव है परन्तु मैंने सोचा कि यदि माननीय मंत्री उत्तर देने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार इंडियन पीपुल्स थियेटर ऐसोसियेशन जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस दिशा में किये गये अच्छे कार्य के बारे में जानती है जिसका कि प्रधान मंत्री ने भी जिक्र किया था और क्या सरकार यह भी जानती है कि इस प्रकार की संस्थाओं को निरुत्साह किया जाता ह जैसे कि इंडियन पीपुल्स थियेटर एसोसियेशन के साथ अपना संबंध रखने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप सूचना दे रहे हैं.....

श्री केलप्पन : क्या सरकार उन संस्थाओं को, जो प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा चलाई जा रही हैं, सहायता देने पर विचार करेगी जो कि बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार उन सारे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी जो उसके सामने लाये जायेंगे।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या सरकार ने उन संस्थाओं की गणना करवाई है जो नृत्य, नाट्यकला एंव संगीत में शिक्षा देती हैं ; यदि हां तो देश में प्रत्येक प्रकार की कितनी संस्थायें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जिस संगीत और नाटय की चर्चा की जा रही है क्या उसमें दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत भी शामिल है ?

श्री के० डी० मालवीय : निस्सन्देह।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह अकदमी कथाकाली और भारतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने का काम करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तृत बातों में जा रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि संगीत, नाटक तथा नृत्य की यह अकदमी स्थापित की जा रही है, मैं जान सकता हूं कि क्या एक हिन्दुस्तानी संगीत अकदमी को, जो लखनऊ में खोली जाने वाली थी, स्थापित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का दिल्ली में एक राष्ट्रीय अकदमी स्थापित करने से संबंध है। सरकार संगीत, नृत्य आदि की प्रादेशिक अकदमियां खोलने पर भी विचार कर रही है।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ; यदि हां तो उसके लिये कितने रुपये की व्यवस्था की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

छात्रालयों के लिये ऋण

*२०३२. **श्री एस० एन० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की योजना के अन्तर्गत १०५०-५१ और १९५१-५२ में छात्रालयों के निर्माण के लिये कितने और कौन

कौन से विद्यालयों को बिना किसी ब्याज पर ऋण दिया गया (प्रत्येक विषय में राशि दी जाये) ;

(ख) उनमें से किस किस ने छात्रालय बनवा लिये हैं ; और

(ग) उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिनके आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) चार विद्यालयों ने, यानी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालिज और माइनिंग तथा मेटालर्जी कालिज, नागपुर के लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट आफ़ टेकनोलोजी और बम्बई के विक्टोरिया जुबली टेकनिकल इंस्टीट्यूट ने छात्रालय बनवा लिये हैं ।

(ग) अखिल भारतीय परिषद् की योजना के अन्तर्गत ऋण के बारे में जो जो सिफ़ारिशें की गई थीं उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : उन विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनकी ज़रूरत के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी और जिन पर विचार किया गया था परन्तु जिन्हें ऋण नहीं दिये गये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : अखिल भारतीय प्रविधिक (टेकनीकल) शिक्षा परिषद् ने बारह विद्यालयों को सहायता देने की सिफारिश की थी । इन में से कुछ ने अपनी इमारत पूरी बनवा ली हैं और उन्हें जितनी सहायता देने का वचन दिया गया था, वह दे दी गई है । दूसरों को भी सहायता दी गई है परन्तु उनका निर्माण-कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । ऐसे लगभग छः विद्यालय ह, जिनकी स्थिति इस प्रकार है । श्रीमान्, यदि आप की अनुमति हो तो मैं इसे पढ़ कर सुनाऊं ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं उन विद्यालयों के नाम जानना चाहता हूं जिन से उन की ज़रूरतों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी और जिन पर विचार हुआ था परन्तु जिन्हें ऋण नहीं दिया गया था ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मैं यह साफ़ कर दूं कि न तो गवर्नमेंट इस बारे में डाइरेक्ट (सीधे) दरख्वास्तों पर गौर करती है, न डाइरेक्ट मदद देती है । एक कौंसिल कायम है, इस के पास दरख्वास्तें भेजी जाती हैं—वे इन्कवायरी करती है, ज़रूरत होती है तो अपनी कमेटी बिठाती है और फिर गौर करने के बाद अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट के पास भेजती है । जिन के लिये गवर्नमेंट के पास सिफारिशें आई थीं, उन सब को मदद दी गई ।

श्री एस० एन० दास : यह योजना कब तक चलेगी ।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक इन बारह विद्यालयों का सम्बन्ध है, सिफारिशें आ चुकी हैं और उन्हें आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । तदर्थ आधार पर कुछ और आवेदनपत्र भी प्राप्त हुए हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है ।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार को पता है कि नागपुर के लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट से सम्बद्ध छात्रालय में उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नहीं लिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री गणपति राम : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया है, कि बनारस यूनिवर्सिटी के माइनिंग और मेटालर्जी होस्टल के बनाने के लिये जो रुपया दिया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कितना रुपया दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुल तीन लाख सत्रह हज़ार की रक़म देने का वादा किया गया था जो कि सब की सब दी जा चुकी है ।

श्री वैलायुधन उठे–

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उसी तरह के प्रश्न पछने जा रहे हैं तो यही अच्छा होगा कि आप पूछें ही नहीं ।

श्री वैलायुधन : मैं इसे दूसरे रूप में पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बिरसी हवाई अड्डा

*२०३३. **श्री जसानी :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के भंडारा ज़िले में स्थित बिरसी हवाई अड्डे के लिये सरकार ने कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की है ;

(ख) हवाई अड्डे के लिये काम में लाई गई भूमि का क्षेत्र ; और

(ग) इस समय कृषियोग्य भूमि कितनी है और उसको किस प्रकार काम में लाया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) १,१४५·३९ एकड़ ।

(ख) ३९·२५ एकड़ ।

(ग) कृषियोग्य भूमि कितनी है इसके सम्बन्ध में सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है किन्तु खास हवाई अड्डे के बाहर जितना भी क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश सरकार प्रयोग में ला रही है ।

श्री जसानी : इस हवाई अड्डे को बनाने के लिये सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा था ?

श्री गोपालस्वामी : केवल भूमि को मार्च १९४३ में १,५३,६४७ रुपये में अधिग्रहीत किया गया था ?

श्री जसानी : मैं जानना चाहता हूं कि कुल लागत कितनी है, यानि इमारतों आदि को मिला कर कितनी लागत आई है ?

श्री गोपालस्वामी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री जसानी : इस हवाई अड्डे का निर्माण किस वर्ष आरम्भ किया गया था अर्थात् यह भूमि कब अधिग्रहीत की गई थी और कितने व्यक्तियों से ?

श्री गोपालस्वामी : भूमि को मार्च सन् १९४३ में अधिग्रहीत किया गया था । मेरे पास उन व्यक्तियों की संख्या मौजूद नहीं है जिन से यह भूमि ख़रीदी गई थी ।

श्री जसानी : इस बात को ध्यान में रखते हुए के भूमि के अधिकतर भाग में खेती नहीं हो रही है, क्या सरकार उस भूमि को मूल व्यक्तियों या उन के उत्तराधिकारियों को देने का विचार रखती है ?

श्री गोपालस्वामी : धावन पथों (रनवे) में ही, जिन्हें आकस्मिक आवश्यकताओं के लिये रखा गया है, ३९·२५

एकड़ भूमि लग गई है। शेष हवाई अड्डे की रक्षा कार्यों के लिये आवश्यकता नहीं है। लगभग ११०० एकड़ भूमि मध्य प्रदेश सरकार को दे दी गई है जिस को अभी हाल तक पुनर्वास-विभाग काम में लाता रहा है। ऐसा समझा जाता है कि अब वह उसे अपनी विशेष सशस्त्र पुलिस के लिये चाहती है। यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें से कितनी भूमि वह मूल स्वामियों को लौटाने के लिय तैयार होगी।

श्री जसानी: क्या मूल स्वामियों ने इस प्रकार के कोई प्रार्थनापत्र भेजे हैं कि उन्हें खेती-बाड़ी के लिये उनकी भूमि वापस लौटा दी जाये?

श्री गोपालस्वामी : जी हां। सितम्बर १९५१ में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन्हें उप-आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर) को रिपोर्ट देने के लिये भेज दिया गया था। उन्होंन रिपोर्ट दी है कि वायुयान की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना केवल २५ एकड़ भूमि को ही पट्टे पर उठाया जा सकता है।

श्री जसानी: इन प्रार्थनापत्रों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

श्री गोपालस्वामी: मेरे विचार से इन में से किसी के भी स्वीकार किये जाने की संभावना नहीं है।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है?

श्री गोपालस्वामी: जैसा मैं कह चुका हूं, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार का पुनर्वास विभाग प्रयोग करता रहा था। अब उनका विचार इनको सशस्त्र पुलिस के लिय बैरकों में परिवर्तन करने का है।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह सत्य है कि भारत सरकार इन बैरकों को मध्य प्रदेश सरकार को देने के लिये पैसा मांग रही है?

श्री गोपालस्वामी: हमने अभी तो कोई पैसा नहीं मांगा है। सशस्त्र पुलिस को वहां रखने की समस्त योजना पर अंतिम रूप से निश्चय किया जाना है।

मऊ में एक बेतार यंत्र का अवैध विक्रय

*२०३४. **श्री एन० एल० जोशी:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मऊ में एक फौजी ठेकेदार ने सरकारी पुर्जों से बनाया गया एक बेतार यंत्र सरकार को ही बेच दिया;

(ख) यदि बेच दिया तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में छान बीन करवाई;

(ग) इस मामले में कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं तथा वे कौन कौन लोग हैं; तथा

(घ) छान-बीन का क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) (क) जी नहीं। फिर भी, सिगनल स्कूल के एक अधिकारी द्वारा तैयार किये गये एक बेतार यंत्र को स्कूल ने एक फौजी ठेकेदार के जरिये खरीदा था। इस यंत्र में प्रयोग किये गये पुर्जे अधिकारी के निजी सम्पत्ति थे किन्तु परीक्षण किये तथा प्रयोगशाला के उपकरणों का प्रयो

करके अधिकारी ने स्कूल का लाभ उठाया था साथ ही उसने कुछ सरकारी श्रम तथा सामान का भी लाभ उठाया था।

(ख) यह अनुभव किया गया कि यह सौदा साधारणतः ठीक नहीं था तथा इसकी जांच के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया।

(ग) तीन व्यक्ति—वह अधिकारी जिस ने यन्त्र तैयार किया, स्कूल का तत्कालीन कमान्डेंट तथा फौजी ठेकेदार—इस सौदे में शामिल थे।

(घ) जांच न्यायालय ने उस अधिकारी को, जिसने यंत्र तैयार किया था ठेकेदार के जरिये अनियमित रूप से यंत्र बेचने के लिये दोषी ठहराया। अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया किन्तु इस मामले को छोड़ देना पड़ा क्योंकि मामले में जो साक्ष्य संक्षेप रूप से लिया गया था उससे ऐसी किसी बात का पता नहीं लगा जिसके आधार पर उस अधिकारी के विरुद्ध सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया जा सकता। फिर भी, अधिकारी को फटकारा जा चुका है। स्कूल के कमान्डेंट ने पहले ही नौकरी छोड़ दी है।

श्री बादशाह गुप्त: म ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई विभागीय दंड नहीं दिया जा सकता है?

श्री गोपालस्वामी: दंड नहीं दिया जा सका। मामले का निर्देश हमारे कानूनी सलाहकारों को किया गया था तथा हमें सूचना दी गई थी कि मुकदमा चलाना सम्भव नहीं था।

अध्यक्ष महोदय: वह विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं।

श्री गोपालस्वामी: इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए फटकार देने के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

संघीय सम्पत्ति पर राज्य करों का लगाया जाना

*२०३६. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी राज्य में ऐसी संघीय सम्पत्ति पर अब भी कोई प्राधिकार कर लगता है जिस पर इस संविधान के लागू होने के तुरन्त पूर्व ही कर लगाया जा सकता था जैसा कि अनुच्छेद २८५ (२) में बताया गया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): जी हां, श्रीमान्। स्थानीय प्राधिकार अब भी वही कर लगा रहे हैं जो कि वे संविधान के लागू होने से पूर्व संघीय सम्पत्ति पर लगाते थे।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*२०३७. **श्री के० सुब्रह्मण्यम:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजनैतिक दलों के सदस्य राष्ट्रीय छात्र सेना में भर्ती होने के योग्य हैं?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): राष्ट्रीय छात्र सेना में उन व्यक्तियों की भरती पर, जो किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक संस्था के क्रियाशील सदस्य हों तथा उन पर जो किसी ऐसी संस्था के सदस्य हों जो हिंसा या साम्प्रदायिक असमानता में विश्वास रखती हो, प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय छात्र सेना

को कभी हड़ताल या राजनैतिक कार्य-वाही को दबाने के लिये प्रयोग में लाया गया है ; यदि लाया गया है तो कब और कहां तथा हताहत होने वालों की संख्या क्या है ?

श्री गोपालस्वामी : मेरे विचार में इसका प्रयोग उस कार्य के लिये नहीं किया जाता है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि ऐसे दल कौन से हैं जिन्हें यह समझा जाता है कि वे हिंसा में विश्वास करते हैं तथा रक्षा मंत्रालय के दृष्टिकोण से वह कसौटी कौन सी है जिसके आधार पर ऐसे निश्चय किये जाते हैं ?

श्री गोपालस्वामी : समय समय पर दलों के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है उदाहरण के लिये यदि मेरे सामने बैठे हुये मेरे माननीय मित्र यह कह दें कि वे हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं तो उन पर यह प्रतिबन्ध न लगाया जायेगा ।

श्री रघवय्या : रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि यदि कोई दल हिंसा में विश्वास करता है तो उसके सदस्यों को राष्ट्रीय छात्र सेना में भर्ती नहीं किया जायगा, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस देश की रक्षा व्यवस्था अहिंसा दर्शन के आधार पर की गई है और यदि की गई है तो इतना धन क्यों व्यय किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह तर्क कर रहे हैं तथा अपनी राय प्रगट कर रहे हैं ।

श्री रघवय्या : कम से कम मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या यह अहिंसा के आधार पर बनाई गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पुन्नूस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय छात्रसेना अहिंसा में विश्वास रखने वाली सेना है तथा क्या इसी कारण से इसमें इन दलों के सदस्यों की भर्ती नहीं की जाती जो हिंसा में विश्वास रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप भी तर्क कर रहे हैं तथा अपनी राय प्रकट कर रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूची है जिसमें ऐसे दलों के नाम दिये हों जिन पर हिंसा में विश्वास रखने का आरोप लगाया जाता है ?

श्री गोपालस्वामी : हमारे पास एक सूची है किन्तु उनका नाम बतलाना जनहित में न होगा ।

डा० एन० बी० खरे : क्या राष्ट्रीय छात्र सेना चर्खा चलाती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ।

सैनिक कैम्प

*२०३०. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दूसरे महायुद्ध के दौरान में बनाये गये सैनिक कैम्पों में से अब भी कितने ऐसे हैं जिन का प्रयोग रक्षा विभाग कर रहा है तथा कितने ऐसे हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है ?

(ख) क्या उन कैम्पों की भूमि को अधिग्रहण अथवा अवाप्त किया गया है ।

(ग) इस प्रकार के कितने कैम्पों का प्रयोग अस्पतालों तथा टी० बी० अस्पतालों के रूप में किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) द्वितीय महायुद्ध के दौरान में ७,६७९ सैनिक इमारतें बनाई गई थीं तथा इन में से २,६३८ इमारतों का रक्षा सेवायें अब भी प्रयोग कर रही हैं तथा शेष ५,०४१ को त्याग दिया गया है ।

(ख) इन कैंपों के अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी अधिकारों की स्थिति इस प्रकार है :

कैम्पों की संख्या	सरकारी भूमि या अवाप्त भूमि	किराये पर ली गई या अधिग्रहीत भूमि
२,६३८	२,१६६	४७२

(ग) जहां तक मालूम हुआ है राज्य सरकारों की बेची गई इमारतों में से तीन को अस्पतालों के रूप में या क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिये काम में लाया जा रहा है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इन सैनिक कैम्पों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले तथा त्याग दिये जाने वाले कैम्पों का क्रमश: मूल्य क्या है ?

श्री गोपालस्वामी : युद्ध के दौरान में अनेक सम्पत्तियां जिनका मूल्य अधिक था, अधिग्रहीत कर ली गई थीं या किराये पर ले ली गई थीं । ऐसी सम्पत्तियों की कुल संख्या १४,४१४ थी तथा वार्षिक किराया ६ करोड़ ३३ लाख रुपये देना होता था । गत् १ मई को रक्षा मंत्रालय के भूमि किराये पर लेने तथा उतसर्जन करने वाले विभाग के पास ७१४ ऐसी सम्पत्तियां थीं जिनको किराये पर लिया गया था या अधिग्रहीत किया गया था तथा जिनका वार्षिक किराया ५६,७९,७०५ रुपये देना होता था । निस्सन्देह, इन अधिग्रहीत इमारतों तथा किराये पर ली गई इमारतों तथा अधिग्रहीत भूमि तथा किराये पर ली गई भूमि का ब्योरा उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्य और कोई सूचना चाहते हैं तो मैं उसको भी दे सकता हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार कोई ऐसी योजना तैयार कर रही है जिस के अनुसार वह उन समस्त सम्पत्तियों की भूमि को जो कि केवल अधिग्रहीत की गई हैं अवाप्त करना चाहती है ?

श्री गोपालस्वामी : प्रधिग्रहण करने की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि जब भूमि की आवश्यकता सरकारी कार्यों के लिये नहीं रहेगी—चाहे रक्षा विभाग के लिये चाहे किसी अन्य विभाग के लिये—तो उसे मूल स्वामियों को लौटा दिया जायेगा । कुछ मामलों में उन का प्रयोग अन्य विभागों ने किया है, कुछ में रक्षा विभाग ने उन्हें रख छोड़ा है तथा कुछ में, उन्हें उन के स्वामियों को लौटा दिया गया है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अधिग्रहण की गई भूमि पर इमारतें बनाने में करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं, क्या उन्हें अवाप्त कर लेना उचित नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार की उन भूमियों को अवाप्त करने की कोई योजना है जिस से उन पर बनी इमारतें भी कबजे में रहे सकें ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक प्रश्न कई प्रकार से बार बार दोहरा रहे हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या इन कम्पों में छुट्टी विताने की भी व्यबस्था है ?

श्री गोपालस्वामी : क्या रक्षा सेवाओं के लिये ?

श्री एन० एम० लिंगम : जी हां ।

श्री गोपालस्वामी : निस्सन्देह, वही व्यवस्था हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मुझे पता लगा है कि इन में ४०० किराये की भूमि पर हैं। क्या सरकार का विचार उन्हें बनाये रखने का ह ?

श्री गोपालस्वामी : उन्हें धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। हमें इस बात का भी पता लगाना पड़ता है कि अन्य विभागों या सरकारों को तो वे भूमियां नहीं चाहिये तथा यदि चाहियें तो वे प्रत्येक भूमि का स्वामित्व किस प्रकार प्राप्त करने का विचार रखते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : इन कैम्पों के अधीन कुल कितना क्षेत्र फल है ?

श्री गोपालस्वामी : मेरे पास यह सूचना यहां उपलब्ध नहीं ह ।

श्री दाभी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अस्पताल तथा क्षय रोग के अस्पताल कहां कहां स्थित है ?

श्री गोपालस्वामी : इन के सम्बन्ध में मेरे पास पूर्ण सूचना नहीं है किन्तु मैं कुछ स्थानों का उल्लेख कर सकता हूं। ओंध हास्पिटल, पूना, लेक मेडिकल कालेज, कलकत्ता तथा सी० एम० हास्पिटल, कटक ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या इन म किसी कैम्प को शरणार्थियों को बसाने के लिए दिया गया है, और यदि दिया गया है तो उन की संख्या क्या ह ?

श्री गोपालस्वामी : इस कार्य के लिए भी कुछ दिये गये हैं । मुझ खेद है कि मैं संख्या न बतला सकूंगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अब तक मूल स्वामियों को कुल कितनी भूमि वापस कर दी गई है ?

श्री गोपालस्वामी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री रघवय्या : देश में क्षय रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या सरकार का विचार कम से कम इन में से आधे कैम्पों को क्षय रोग के अस्पतालों में बदल देने का है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह तो कार्यवाही करने के लिए सुझाव है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं प्रश्न संख्या २०२७ पूछना चाहूगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह सेठ गोविन्द दास के नाम से है; क्या माननीय सदस्य ने उन से अनमति ले ली है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी नहीं, श्रीमान्, किन्तु यह जन हित में है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता । उनके पास उस माननीय सदस्य की, जिन्होंने इस प्रश्न की सूचना दी है, अनुमति होना आवश्यक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयकर जांच आयोग

*२०२७. **सेठ गोविन्द दास :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१–५२ में आयकर-जांच आयोग और उसके संस्थापन आदि के ऊपर किया गया कुल व्यय ; तथा

(ख) इस अवधि में इस आयोग द्वारा कुल कितना कर मिला ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ८,८७,५६७ रुपये ।

(ख) सन् १९५१–५२ में आयोग ने छिपाई गई आय पर कर के रूप में १०·२८ करोड़ रुपये की सूचना दी थी । इसी अवधि में मामलों को निबटा कर आयोग ने जो राशि प्राप्त की थी वह २·७० करोड़ रुपये थी ।

संयुक्त स्कन्ध समवाय

*२०२८. **सेठ गोविन्द दास :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में कितने संयुक्त स्कंध समवायों की जांच की गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : सन् १९५१-५२ में भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १३८ के अन्तर्गत १७ कम्पनियों के मामलों की जांच की गई थी।

किचनर कालेज

*२०२९. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि विंध्य प्रदेश में नौगांव स्थित किचनर कालेज अब बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या किचनर कालेज के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर प्रशिक्षण देने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं और यदि किये गये हैं तो कहां पर, अथवा क्या प्रशिक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है; तथा

(ग) सरकार उक्त कालेज की इमारतों का क्या उपयोग करना चाहती है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं. सैनिक विद्यार्थियों को इस कालेज में जो प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाता था अब वह आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

(ग) सरकार का विचार किंग जाज मिलिटरी कालेज को जालन्धर से नौगांव ला कर भूतपूर्व किचनर कालेज की इमारतों में बसाने का है ।

बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम

*२०३५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम को ऐसी परियोजना के रूप में चुना गया है जिसे कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी ;

(ख) बम्बई राज्य सड़क यातायात निगम के इस प्रकार चुने जाने का क्या कारण है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य यातायात प्राधिकार को इस सहायता के उपयुक्त समझा गया था ; तथा

(घ) यदि नहीं समझा गया था तो उस के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां, श्रीमान्। जिन परियोजनाओं को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता देने का निश्चिय किया गया है उन में से एक यह भी है।

(ख) से (घ) तक. साधारणतः पंच वर्षीय योजना में जिन परियोजनाओं को शामिल किया गया है उन्हीं को सहायता देने वाले देश से परामर्श करने के पश्चात् सहायता देने के लिये चुना जाता है। विशेष मामलों में, सहायता देने वाले देश में जो सुविधायें उपलब्ध होती हैं उन के अनुसार कोई अन्य योजना चुनी जाती है। ऐसा होने पर केवल उन योजनाओं पर विचार किया जा सकता है जिन के सम्बन्ध में भारत सरकार को पूरा पूरा ब्योरा मालूम हो।

नाविक सामान की दर पुस्तक

५०६. **श्री एन० एस० नायर :** क्या **रक्षा** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नाविक सामान के सम्बन्ध में एक भारतीय दर पुस्तक का संकलन करने के बारे मे कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : भारत में मिलने वाले नाविक सामान के सम्बन्ध में सूचियां अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई हैं तथा उन्हें छापा जा रहा है। जहां तक आयात किये जाने वाले सामान का सम्बन्ध है, इस्पात तथा अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं, वेतार यंत्रों, तथा बिजली के उपकरणों को छोड़ कर समस्त वस्तुओं की दरें निरधारित कर दी गई हैं। इन वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होने की हाल ही में सम्भावना है।

भोपाल राज्य का भूतत्वीय परिमाप

५०७. **पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सन् १९४८-४९ में सर सयरिल फाक्स ने भोपाल राज्य का भूतत्वीय परिमाप कर के सन् १९४९ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी ;

(ख) यदि दे दी थी तो क्या रिपोर्ट में कोई मूल्यवान सूचना है और यदि है तो क्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार के विचार में रिपोर्ट में मूल्यवान सूचना दी हुई है। रिपोर्ट की एक प्रति मांगी गई है तथा सदन के पुस्कालय में रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय बचत योजना

५०८. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) वर्ष १९५१-५२ में १० रुपये ५० रुपये तथा १०० रुपये वाले राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में से प्रत्येक में कितनी राशि विनियोजित हुई ; तथा

(ख) ३१ मार्च १९५२ तक छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों ने अर्थात् उन्होंने जिन्होंने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में २०० रुपये से अधिक नहीं लगाये हैं, कुल कितनी राशि विनियोजित की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) क्रमशः लगभग १७.१८ लाख रुपये, २३.४७ लाख रुपये तथा १९९.२१ लाख रुपये।

(ख) मेरे विचार से इस सूचना को केवल अनेक वर्षों तक सारे देश के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित डाकखानों के अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात् ही संग्रह किया जा सकता है और यह इस कार्य पर लगने वाले समय तथा श्रम से प्राप्त होने वाले परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा ।

सेलखड़ी

५०९. **श्री बलवन्त सिन्हा महता:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सेलखड़ी निकालने वाले मुख्य क्षेत्र कौन से हैं ;

(ख) देश की कुल आवश्वकताऐं कितनी हैं ;

(ग) इस में से कितनी प्रतिशत राजस्थान की खानों से निकाली जाती हैं तथा निर्यात की जाती है ;

(ध) किस स्थान की सेलखड़ी सबसे अच्छी समझी जाती है तथा वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है ;

(ङ) अधिकतर उसे कहां भेजा जाता हैं ; तथा

(च) वर्ष भर में इस के द्वारा कितने डालर तथा कितनी स्टर्लिंग प्राप्त होती हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (च). उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४**]

त्रिपुरा में हाईस्कल

५१०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में गैर-सरकारी हाई स्कूल कितने हैं ; तथा

(ख) शिक्षा मंत्रालय उन्हें कितनी आर्थिक सहायता देने का विचार रखता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) १५ ;

(ख) वर्ष १९५२-५३ में त्रिपुरा में गैर-सरकारी सेकेन्डरी स्कूलों को सहायता अनुदान देने के लिए बजट में २१,३०० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

प्रिन्स आफ़ वेल्स मिलिटरी कालेज देहरादून

५११. **श्री जे० एन० हज़ारिका:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में प्रिन्स आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून में उन उम्मीदवारों की संख्या क्या थी जो भर्ती होना चाहते थे ; तथा

(ख) अब तक कितने भर्ती किये जा चुके हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) तथा (ख). इस विवरण में अपेक्षित सूचना दी गई है :—

वर्ष	उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हों ने भर्ती होना चाहा था	भर्ती किये गये उम्मीदवारों की संख्या
१९५०	९८	३६
१९५१	१५८	३३
१९५२	१७७	३०

भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाना

५१२. **डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में से प्रत्येक वर्ष में सेना से हटाये गय व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन में से कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गईं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(घ) प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् कितन व्यक्तियों को नौकर रखा गया ;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जो (१) अब भी बेकार हैं तथा (२) अप्रशिक्षित हैं ;

(च) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई ; तथा

(छ) प्रत्येक वर्ष में अधिक से अधिक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सका ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : पत्री वर्षों में सेना से जिन व्यक्तियों को निकाला गया था उन की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	निकाले गये
१९४९	१७,४१९
१९५०	६,७९८
१९५१	१३,२७५
जनवरी से मई १९५२ तक	१,३०९
	३८,८०१

उपरोक्त के अलावा सन् १९५० तथा १९५१ में भारतीय सेना के साथ राज्य सैनिक बलों का समयोजन होने के फलस्रूप राज्य सैनिक बलों में से ३८,१५६ सैनिकों को और निकाला गया था ।

(ख) निकाले गये उपरोक्त (क) में से कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली यह सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु सेवा योजनालयों द्वारा जितने भूतपूर्व सैनिकों को जिस में सन् १९४९ से पहले विघटित किये गये सैनिक भी शामिल हैं ; नौकरी दिलवायी गई वह इस प्रकार हैं ।

वर्ष	नौकर रखे गये
१९४९–५०	१९,०८१
१९५०–५१	१८,७६८
१९५१–५२	२४,३४९
कुल	६२,१९८

(ग) सन् १९४९ से पूर्व विघटित किये गये सनिकों को शामिल करते हुए ऐसे भूतपूर्व–सैनिकों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया :—

वर्ष	प्रशिक्षित किये गये
१९४९–५०	९,८९५
१९५०–५१	२,६३७

वर्ष १९५१–५२ के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये पृथक्रूप से आंकड़े नहीं रखे गये । श्रम मंत्रालय ने अपनी नागरिक प्रशिक्षण योजना के साथ भूतपूर्व–सैनिकों के प्रशिक्षण की योजना मिला दी थी ।

(घ) सेवा योजनालयों द्वारा जिन प्रशिक्षित भूतपूर्व-सैनिकों को नौकरी दिलवायी गई उनकी संख्या इस प्रकार है:—१९४९–

५०–७४४; १९५०-५१––९३३ ; १९५१–५२––लगभग ४४३ (पूर्ण आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं) :

(ङ) (१) ३१–५–५२ को सेवा योजनालय में पंजीबद्ध बेकार भूतपूर्व-सैनिकों की संख्या २४,९६७ थी।

(२) उपलब्ध नहीं हैं।

(च) सन् १९४९–५० में श्रम मन्त्रालय के डी० जी० आर० ई० के प्रशिक्षिण केन्द्रों में विघटित सैनिकों को प्रविधिक (टैकनिकल) तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया था तथा सन् १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में वयस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत।

(छ) प्रत्येक वर्ष में कितने भूतपूर्व-सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु भूतपूर्व-सैनिकों तथा नागरिकों दोनों के लिए श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत व्यावसायिक। टैकनिकल प्रशिक्षण केन्द्रों में जो कुल स्थान उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं :––

१९४९ में	. .	१०,०००
१९५० में	. .	१०,०००
१९५१ में	. .	९,५०८

आयकर

५१३. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१–५२ में पांच हजार या इस से कम आय वाले लोगों से कुल कितना आयकर प्राप्त हुआ ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : क्योंकि आयकर राजस्व के वर्गीकृत आंकड़े उठाई गई मांग के लिये आय वर्ग के अनुसार रखे जाते हैं न कि प्राप्त की गई राशि के अनुसार, अतः ५००० रुपये या इस से कम आय वाले लोगों के वर्ग से वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई इस सम्बध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, सन् १९५०–५१ में ५००० रुपये तक की आय वाले लोगों पर जो कर निर्धारित किया गया उसकी राशि २ करोड़ और ३० लाख रुपये थी। सन् १९५१–५२ के सम्बन्ध में अब तक पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रानीखेत छावनी में पानी का संभरण

५१४. **श्री बंसल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रानीखेत छावनी में नागरिकों के लिए पानी का संभरण बहुत कम कर दिया गया है तथा उसी के अनुपात में सेना के लिए पानी का सभरण बढ़ा दिया गया हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बात के कारण असैनिक निवासियों में बहुत असंतोष फैला हुआ है; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को ठीक करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। फिर भी, अधिक पानी के लिये मांग है।

(ग) जी हां। श्रोत से वितरण केन्द्र तक दोहरी पाइप लाइन लगा कर पानी का संभरण बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य निर्वाचन

५१५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विधि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो गत सामान्य निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से

(१) संसद,

(२) संसद तथा राज्य विधान मण्डल,

(३) राज्य विधान मण्डल के लिये चुने गये थे।

(ख) क्या इस प्रकार खाली होने वाले समस्त स्थानों को उप-निर्वाचनों द्वारा भरा जा चुका है; तथा

(ग) ऐसे उप-निर्वाचनों का प्रबन्ध करने में सरकार को अतिरिक्त रूप से कितनी राशि व्यय करनी पड़ी थी ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) गत निर्वाचनों में जो व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये थे उन के नाम यह हैं :—

(१) संसद्—श्री वी० जी० देशपाँडे

(२) संसद् तथा राज्य विधान मंडल—

(१) श्री पी० यू० आर० थन्हीरा

(२) श्री मोहम्मद रफीक़

(३) श्री लाल बहादुर शास्त्री

(४) श्री यू मुथूरामालिंग थवर

(५) श्री के० मोहन राव

(६) श्री पेंडल राघव राव

(७) श्री एन० एम० जयसूर्य

(८) श्री रवि नारायण रेड्डी

(९) श्री राम करन जोशी

(१०) श्री हनवन्त सिंह

(११) श्री एन० श्रीकान्तन नायर ; तथा

(३) राज्य विधान मंडल—

(१) श्री सागर मोहन फाटक

(२) श्री कामाक्ष्या नारायण सिंह

(३) श्री राधा कृष्ण पाल

(४) श्री टीका राम पालीवाल

(ख) उन स्थानों का ब्योरा जो इस प्रकार खाली हुए तथा उपनिर्वाचनों द्वारा भरे गये:—

(१) ग्वालियर (लोक सभा)

(२) अरुप्पूकोटाई (लोक-सभा)

(३) जयपुर-सवाई माधोपुर (लोक-सभा)

(४) जोधपुर (लोक-सभा)

(५) एजल-पूर्व (विधान सभा—आसाम)

(६) काकीनाडा (विधान सभा—मद्रास)

(७) जोधपुर (विधान सभा—राजस्थान)

(८) महागामा (विधान सभा—बिहार)

(९) गोमिआ (विधान सभा—बिहार)

(१०) बागोडर (विधान सभा—बिहार)

(११) पेतरबार (विधान सभा—बिहार)

(१२) गोघाट (विधान सभा—पश्चिमी बंगाल)

(१३) मलरना चौर (विधान सभा—राजस्थान)

उन स्थानों का ब्यौरा जो इस प्रकार खाली हुए किन्तु अभी तक उप निर्वाचनों द्वारा भरे नहीं गये हैं :—

(१) लहरीघाट (विधान सभा—आसाम)

(२) केराकट व जौनपुर (विधान सभा--उत्तर प्रदेश)

(३) वर्धनपेठ (विधान सभा--हैदराबाद)

(४) हनामकोंडा (विधान सभा--हैदराबाद)

(५) हुजूरनगर (विधान सभा--हैदराबाद)

(६) भोनगिर (विधान सभा--हैदराबाद)

(७) चवीरा (विधान सभा--त्रावन-कोर-कोचीन)

(ग) इन उप-निर्वाचनों का प्रबन्ध करने में सरकार को अलग से जो धन राशि व्यय करनी पड़ी उस की सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है। उसे राज्य सरकारों से प्राप्त करना पड़ेगा।

"दि वैल्थ आफ़ इंडिया"

५१६. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) "दी वैल्थ आफ इंडिया" (भारत के आर्थिक उत्पादन तथा औद्योगिक संसाधनों का शब्द कोष) के कितने अंक प्रकाशित करने का विचार है?

(ख) अब तक कितने अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं; तथा

(ग) प्रत्येक अंक का मूल्य तथा प्रत्येक अंक में लिखा गया विषय?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) "वैल्थ आफ इंडिया" (भारतीय कच्चे माल तथा औद्योगिक उत्पादन का शब्द कोष) ९ अंकों में प्रकाशित किया जायेगा तथा प्रत्येक अंक में दो भाग होंगे। प्रत्येक अंक का प्रथम भाग 'कच्चे माल' के सम्बन्ध में है तथा दूसरा औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में। अन्य समस्त विश्वकोशों के समान ही इसे भी वर्णनक्रम से प्रकाशित किया जा रहा है।

(ख) दो अंक--प्रत्येक में दो भाग--प्रकाशित किये जा चुके हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५]**

राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय

५१७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वित्त** मंत्री मेरे द्वारा २५ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३१६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) ब्रिटिश सरकार के राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय को जो एजेन्सी कृत्य करने पड़ते थे क्या वह अब ब्रिटेन स्थित भारत के प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय को सौंप दिये गये हैं।

(ख) यदि सौंप दिये गये हैं, तो वे कृत्य क्या है; तथा

(ग) ऐसे ऐजेन्सी कृत्यों के लिए सन् १९५१-५२ में भारत सरकार को अंशदान के रूप में कितनी राशि देनी पड़ी?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी हां। कुछ कृत्य तो प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय ने बिलकुल ही अपने हाथों में ले लिये हैं तथा अन्य को हाथ में लेने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) एजेन्सी अंशदान से रूप के १,०२,००० पौंड की राशि दी गई थी ।

चालुवम्बा भवन

५१८. **श्री मादिया गौडा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री चालूवजम्मन्नी भवन की देखभाल तथा मरम्मत पर जिसे सरकार ने भारतीय खाद्य कितनी औद्योगिक (टेकनालाजिकल) अनुसंधान संस्था को स्थापित के लिए दे दिया है कितनी राशि व्यय होती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : चालुवम्बा भवन की देखभाल तथा मरम्मत पर, जिस में केन्द्रीय खाद्य टैकनालाजिकल अनुसंधान संस्था, मैसूर कार्य करती है, लगभग प्रतिवर्ष १२,००० रुपये व्यय होते हैं ।

ग्राम प्रौढ़ शिक्षा

५१९. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर में ग्राम प्रौढ़ शिक्षा पर हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा की गई कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण जिस में मैसूर में ग्राम प्रौढ़ शिक्षा पर हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा की गई वह शिफारिशें दिखलाई गई हैं जिन्हें कुछ ऐसी राज्य सरकारों ने, जो सामाजिक शिक्षा योजनाएं चला रही हैं, कार्यान्वित किया है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ७]**

आज्ञप्त अधिकारियों का पुनः नौकर रखा जाना

५२०. **श्रीमती मायदेव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सेना से विघटित करते समय क्या विघटित किये गये आज्ञप्त अधिकारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें समुचित नौकरियां दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जायेगा;

(ख) सन् १९४७ से लेकर अब तक रक्षा मंत्रालय में कितने घोषित स्थान (असैनिक नियुक्तियां) भरे गये हैं ?

(ग) इन में से कितने स्थानो पर विघटित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी नहीं, किन्तु सरकार की यह नीति है कि जहां तक सम्भव हो सके विघटित अधिकारियों को असैनिक जीवन में पुनः बसने में सहायता दे ।

(ख) तथा (ग). सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

भोपाल राज्य सेना

५२१. **पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ जून, १९४९ को भोपाल सेना में अधिकारियों और सैनिकों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या उक्त सेना भंग कर दी गई थी और यदि कर दी गई थी तो उसके भंग करने की तारीख क्या थी ; तथा

(ग) क्या भोपाल सेना के समस्त सैनिकों को संघ सेना में शामिल कर लिया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) हमारे पास जनवरी १९५० के आंकड़े हैं । उस में १३ अधिकारी, ८५० जे० सी० ओ० तथा अन्य सैनिक थे ।

(ख) जी हां, ३१ जनवरी, १९५१ तक भोपाल राज्य सेना को भंग कर दिया गया था ।

(ग) जी नहीं; केवल बहुत थोड़े सैनिकों को शामिल किया गया था ।

भोपाल राज्य सेना

५२२. **पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि भंग की गई भोपाल सेना के कुछ सैनिकों के मामले, जिन का सम्बन्ध पेंशन, उपदान अथवा अन्य आर्थिक सहायता से है अब भी पड़े हुए है; तथा

(ख) यदि पड़े हुए हैं तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है तथा वे किस प्रकार के हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) जी हां ।

(ख) अभी ६७ मामले ऐसे हैं जिनका फैसला नहीं हुआ है, इन में से ४० पेशन तथा २७ उपदान दावों के सम्बन्ध में हैं ।

निवृत्त वेतन अपील अधिकरण

५२३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ की अवधि में कितने निवृत्त वेतन अपील अधिकरण कार्य कर रहे थे ;

(ख) सन् १९५१-५२ में उन्होंने कितनी अपीलों को निबटाया; तथा

(ग) केन्द्रीय निवृत्त-वेतन अपील अधिकरण को द्वारा कितनी अपीलें की गईं तथा उक्त समय में उन में से कितनी निबटाई गई ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) तीन (केन्द्रीय अपील अधिकरण के अतिरिक्त), जिसम से एक को जून १९५१ में समाप्त कर दिया गया था तथा दूसरे को मार्च १९५२ में ।

(ख) २,२७२ ।

(ग) क्रमशः २७१ तथा २४३ ।

चितौरगढ़

*५२४. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चित्तौरगढ़ के किले की हालत खराब होती जा रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : किले में कुछ स्मारकों की अर्थात् जयस्तम्भ, कीर्तिस्तम्भ तथा मंदिर की जो दर्शनीय स्मारक हैं, हालत बहुत अच्छी है । किन्तु शेष स्मारकों की, जिन

म महल, तालाब, मकान इत्यादि शामिल ह, हालत खराब है । जैसे ही इन स्मारकों को भारत सरकार अपने हाथों में ले लेगी इनकी मरम्मत के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर दी जायगी ।

मंडी में लौह प्रस्तर

५२५. **श्री हेम राज :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उतरी मंडल के मंडी क्षेत्र मे संग्रह किये गये लौह प्रस्तर का क्या कोई विश्लेषण किया गया है ; तथा

(ख) यदि किया गया है तो इन प्रयोगों का क्या परिणाम रहा है

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ८]**

भारत में साक्षरता

५२६. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन के पश्चात् क्या देश में कोई साक्षरता गणना की गई है ;

(ख) साक्षरता की प्रतिशतता क्या है ; तथा

(ग) वे राज्य कौन से हैं जहां साक्षरता की प्रतिशतता सबसे अधिक है तथा सब से कम है

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां, सन् १९५१ की सामान्य जनगणना के साथ साथ साक्षरता गणना भी कर ली गई थी ।

(ख) तथा (ग). आंकड़ों का अब भी संकलन किया जा रहा है ।

कर्नल की श्रेणी से ऊपर वाले सेना अधिकारी

५२७. **श्री अजीत सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरे कर्नल तथा इस श्रेणी से ऊपर वाले अन्य कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप पर निकाला गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : श्रीमान्, दो ।

भारत में विनिमय बैंक

५२८. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने विनिमय बैंक कार्य कर रहे हैं

(ख) इन में से कितने बैंकों में पूर्णता भारतीयों की पूंजी लगी हुई है ;

(ग) इन में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अनुमानतः विनिमय बैंक से माननीय सदस्य का तात्पय ऐसे बको से है जिन्हें विदेशी विनिमय करने का अधिकार प्राप्त है । तो ऐसे बैंकों की संख्या भारत म ३७ है ।

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य का तात्पर्य इस से है कि ऐसे बैंकों में किस सीमा तक भारतीय अंशधारी हैं। यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इन में कितने बैंकों में केवल भारतीयों की ही अंश पूंजी लगी हुई ह। फिर भी, इन में से २० बैंकों में अधिकतर अंश भारतीयों के हाथों में है।

(ग) विदेशी विनिमय में भाग लेने वाले ऐसे बैंकों की कुल प्राप्त अंश पूंजी २४·४७ करोड़ रुपये है जिनके अंश अधिकतर भारतीयों के हाथों में हैं।

भारत में विदेशी विनिमय बैंक

५२९. **श्री जी० पी० सिन्हा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत ऐसे विदेशी विनिमय बकों में, जिन में अधिकतर गैर-भारतीयों की पूंजी लगी हुई है, कितने भारतीय काम करते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमख): सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सचना नहीं है।

GIPD—HS—445 PSD—19-5-52- 285

बुधवार,
२३ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, २३ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे प्रारम्भ हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८-१५ म० पू०

विशेषाधिकार समिति

श्री दशरथ देव की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की उपस्थापना

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्री दशरथ देव, संसद् सदस्य, की गिरफ्तारी में जो विशेषाधिकार का प्रश्न सन्निहित था उस पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन मैं उपस्थापित करता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री वी० जी० देशपांडे की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे, संसद् सदस्य, की गिरफ्तारी में जो विशेषाधिकार का प्रश्न सन्निहित था उस पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की एक छपी हुई प्रतिलिपि मैं सदन पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये** संख्या पी० २३/५२]।

केन्द्रीय उत्पादन कर तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ क अनुसार अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं केन्द्रीय उत्पादन कर तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अनुसार निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं :

(१) केन्द्रीय उत्पादन-कर अधिसूचना संख्या ३, दिनांक १६ फ़रवरी, १९५२।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-कर अधिसूचना संख्या ४, दिनांक ८ मार्च, १९५२।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-कर अधिसूचना संख्या ६, दिनांक २४ मई, १९५२।

(४) केन्द्रीय उत्पादन-कर अधिसूचना संख्या ७, दिनांक १७ मई, १९५२।

(५) केन्द्रीय उत्पादन-कर अधिसूचना संख्या ९, दिनांक ७ जून, १९५२।

(६) केन्द्रीय उत्पादन-कर अधिसूचना संख्या १०, दिनांक १४ जून, १९५२।

[**पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये** संख्या पी० ३७/५२]

राज्य परिषद से संदेश

सचिव: श्रीमान्, राज्य परिषद् से यह सूचना प्राप्त हुई है कि ८ और ९ जुलाई, १९५२ को हुई अपनी बैठकों में इस सभा ने जो निम्नलिखित विधेयक पास किये थे उन पर राज्य परिषद् अपनी १८ जुलाई, १९५२

[सचिव]

की बैठक में, बिना कोई संशोधन किये सहमत होगया है :

१. संभृति आदेश प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ।

२. निरसक तथा संशोधन विधेयक, १९५२ ।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब निवारक निरोध विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा । इस के साथ साथ तीन अन्य .....

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : श्रीमान्, इस से पूर्व कि आप माननीय गृह मंत्री से उत्तर देने को कहें, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसलिये यह आवश्यक है कि विरोधी पक्षों के सदस्यों को भी अपना अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिले । इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि कुछ और समय, कम से कम आज का, हमें दिया जायें जिस से कि पर्याप्त चर्चा सम्भव हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश, मैं इस प्रार्थना से सहमत नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर पर्याप्त समय तक चर्चा हो चुकी है तथा और अधिक समय आवश्यक नहीं है । कुछ सदस्यों के भाषण अनावश्यक रूप से लम्बे हुए हैं, जिन में वस्तु-विषय से परे की बातें भी कही गई हैं, यद्यपि मैं ने कल ही निवेदन किया था कि वे अपने भाषणों को छोटा करें ।

इस के अतिरिक्त, माननीय मंत्रीजी का उत्तर आज के लिये कर दिया गया जिसका अर्थ यह हुआ कि चर्चा के लिये लगभग एक घंटे का समय और मिल गया । इस लिये मैं इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता । इस में सन्देह नहीं कि वाद विवाद पूरा होना चाहिये, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो भी सदस्य बोलना चाहे उसें बोलने का मौक़ा दिया जाये । इसलिये मैं समझता हूं कि इस आधार पर माननीय सदस्य की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मुझे खेद है कि इस निर्णय के विरोध में हमें सदन से उठ कर चला जाना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मुझे दुख होगा, किन्तु यह उनकी मर्ज़ी है ।

[इस प्रक्रम पर विरोधी दल सदन से उठ कर चला गया ।]

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस विधेयक के वाद विवाद ने एक बहुत बड़े परिणाम में वक्तृताओं तथा भाषणों को प्रेरित किया है और जो बातें कही गई थीं उन का जब मैं संक्षिप्तीकरण करने का प्रयत्न कर रहा था तो मैं ने देखा कि व्यक्त किये गये दृष्टिकोणों में वास्तव में बहुत समानता है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रारम्भ से अन्त तक यह एक सड़ियल विधेयक है । दूसरे माननीय सदस्य ने इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसी प्रकार के अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जो सन् १९४१ से अस्तित्व में है, लोगों की मुसीबत का एक लम्बा इतिहास दिया । एक और माननीय सदस्य नें, जो वकील हैं, अनेक न्यायनिर्णयों में से उद्धरण दिये और अन्तिम तथा अत्यन्त भावपूर्ण भाषण एक अन्य सदस्य ने दिया जो कि दो वर्ष पूर्व तक इस ओर बैठा करते थे । जो भी बातें उठाई गई हैं उन सबका उत्तर देना मेरे लिये आवश्यक होगा किन्तु प्रारम्भ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं यहां हूं और जब इन सरकारी बेंचों के हम लोग विरोधी दल के सदस्यों की वक्तृता का भार सहने को यहां हैं, विभिन्न राज्यों में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये

श्रौर उसके उत्तरदायित्व का भार सहने के लिये सरकारें मौजूद हैं। जैसा कि मैं ने पूर्व श्रवसर पर कहा था, वे सब इस बात पर एक मत हैं कि उन्हें श्रपना कर्तव्य निबाहने में समर्थ बनाने के लिये इस प्रकार का श्रधिनियम श्रावश्यक है। मुझे खेद है कि जिन माननीय सदस्य न कल मुझ से यह प्रश्न पूछा था कि पहली मार्च से श्रब तक कितने व्यक्ति निरुद्ध किये गये हैं यहां इस समय मौजूद नहीं हैं। उन का श्राशय सदन पर यह श्राभास श्रारोपित करने का था कि इस श्रधिनियम की श्रावश्यकता श्रब नहीं रही है तथा देश में सब जगह शान्ति है। वास्तविकता में बात ऐसी नहीं है। मेरे पास कुछ श्रांकड़े मौजूद हैं जो मैं सदन के सम्मुख रक्खूंगा।

यह मैं श्रवश्य चाहता हूं कि यहां हम जितने लोग हैं श्रौर बाहर जितने लोग हैं वे उस वस्तुस्थिति को भली भांति पहचानें जिस में हो कर श्राज हम लोग गुज़र रहे हैं। हम ने उन व्यक्तियों के भाषणों में से लिये गये उद्धरण सुने जो हमारे पूज्य श्रौर श्रादरणीय हैं श्रौर जिन्हें हम प्रेम करते हैं। उन के वे भाषण १९२३ श्रौर १९२४ में दिये गये थे। वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, किन्तु यह मैं नहीं जानता कि यदि श्राज कल की परिस्थितियों में वे रह रहे होते तो उनके क्या विचार होते तथा उन्होंने हमारा किस प्रकार पथ-प्रदर्शन किया होता। श्रब केवल श्रंग्रेज़ ही यहां से छोड़ कर नहीं चले गये हैं वरन् समस्त राजनीतिक तथा भौगोलिक ढांचे में ही परिवर्तन श्रा गया है। वास्तव में, भारत का नक्शा ही बदल गया है। देश का विभाजन हो चुका है। जहां भूतकाल में कोई सीमायें नहीं थीं वहां—पंजाब, राजस्थान, बंगाल श्रौर श्रासाम में—सीमायें बन गई ह, श्रौर इस के श्रतिरिक्त श्रब एक नियम के श्रन्तर्गत नामतः क़ानून के नियम के श्रन्तर्गत भारत के बड़े बड़े भाग जो पहले देशी रियासतें कहलाते थे, श्रा गये हैं। जो क्षेत्र में भारत का $^3/_8$ वां भाग तथा जनसंख्या में इस से कुछ ही कम थे। इन रियासतों का शासन वास्तव में 'राजनीतिक विभाग' द्वारा श्रंग्रेज़ ही करते थे तथा कुछ बड़ी रियासतों को छोड़ कर श्रन्य में बिलकुल भिन्न दशायें थीं श्रौर श्रब वे सब रियासतें हमारे साथ मिल गई हैं। वहां के लोग लोकतंत्रीय जीवन से बहुत परिचित नहीं हैं। सौराष्ट्र में, राजस्थान में, तथा मध्य भारत के कुछ भागों में, परिस्थितियां एक दम भिन्न हैं श्रौर हमें यह देखना है कि एकता तथा शान्ति बनी रहे। यह सर्वोपरि बात है।

मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं श्रौर जैसा मैंने कहा यह मेरे समस्त गत जीवन से संगत है, कि क़ानून की प्रभुता तथा प्रत्येक व्यक्ति के न्यायसंगत मुक़दमे की श्रावश्यकता की दलीलें दी जाती हैं। इस के साथ साथ, देश ने सदियों की गुलामी के पश्चात् स्वायत्त-शासन प्राप्त किया है। परन्तु उस स्वशासन को प्राप्त करने में कितनी ही भावातिरेकतायें उठी हैं, कितनी ही विचारधारायें श्रस्तित्व में श्राई हैं, देश के विभिन्न भागों में लोग विभिन्न विचारधाराश्रों द्वारा प्रभावित हुए हैं श्रौर यह भी याद रखने की बात है कि इस में तमाम जातियों, वर्गों, सम्प्रदायों श्रौर धर्मों के लोग रह रहे हैं जिन्हें हमारे संविधान ने पूर्ण सुरक्षा तथा स्वतंत्रता की प्रत्याभूति दी है। किन्तु इस के साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि ये विचारधारायें लोगों के मत पर कितना प्रभाव डालती हैं श्रौर इन मतों की श्रभिव्यक्ति से कितना प्रभाव उत्पन्न हो सकता है श्रौर कितनी उत्तेजना फैल सकती है। एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि जो लोग उत्तेजना उभाड़ते हैं वे जनता को तो उस पथ पर अग्रसर कर देते हैं किन्तु स्वयं पीछे ही रहे आते हैं। साररूप में यह बात सत्य है और मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश की एकता और

[डा० काटजू]

शान्ति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिस से कलह या उपद्रव को प्रेरणा मिलती हो।

मुझ से कल जो प्रश्न पूछा गया था उस के उत्तर के लिए तार द्वारा मैं ने आंकड़े मंगाए हैं। ये आंकड़े उन लोगों की संख्या के हैं जो १ मार्च, १९५२ से १९ जुलाई १९५२ तक इस अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध थे।

आसाम: ९ व्यक्ति निरुद्ध थे; इन पांच मासों में उनमें से तीन रिहा कर दिए गए।

बिहार: एक व्यक्ति निरुद्ध किया गया था और वह अब भी निरोध में है।

बम्बई: १५० व्यक्ति निरुद्ध किए गए थे जिनमें से १३५ गुंडे बतलाए गए हैं अर्थात् ऐसे सामान्य व्यक्ति जो तमाम तरह के दुष्ट कर्म करते हैं तथा शान्ति भंग करते हैं किन्तु जिन का राजनीतिक कार्यवाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश: २; अब भी निरुद्ध हैं।

मद्रास: ८ निरुद्ध किये गये थे जिन में से सात रिहा कर दिये गये हैं, निरुद्ध व्यक्तियों म दो चोरबाज़ारी करने वाले थे।

पंजाब: २७ व्यक्ति निरुद्ध किये गय थे, जिन में से २३ चोरबाज़ारी करने वाले थे। ८ रिहा कर दिये गये हैं। रिहा किये गये व्यक्तियो में ६ चोरबाज़ारी करने वाले हैं, १७ अब भी निरोध में हैं।

उत्तर प्रदेश: ५ निरुद्ध किये गये थे, ३ रिहा किये गये।

पश्चिमी बंगाल: ३४ निरुद्ध किये गये थे जिन में से २७ चोरबाज़ारी करने वाले थे और ६ भारत के क्रान्तिकारी साम्यवादी दल के सदस्य थे।

हैदराबाद: ८२ निरुद्ध किये गये थे; ३२ रिहा किये गये, इस के अतिरिक्त २९ सितम्बर १९५२ तक १६ अस्थायी रूप से रिहा किये गये।

पेप्सू: में, जहां के बारे में माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों में देखा होगा कि देहाती-क्षेत्रों में बड़ी गड़बड़ी चल रही है ४२३ व्यक्ति निरुद्ध किये गये हैं और ९३ रिहा किये गये हैं। वहां के मुख्य मंत्री ने मुझे सूचना दी है कि निरुद्ध किए गये ये सब व्यक्ति डाकुओं को आश्रय देने वाले लोग हैं। **राजस्थान** में जहां कि डाकुओं की लूटमार से स्थिति बहुत अशान्तिमय तथा अव्यवस्थित हो रही है, ३८ निरुद्ध किये गये थे और १८ रिहा किये गये। **सौराष्ट्र** में ११२ निरुद्ध किये गये और ५० रिहा किये गये। **अजमेर** में ४ निरुद्ध किये गये और ३ रिहा कर दिये ग हैं। **भाग 'ग'** के राज्यों में दिल्ली ऐसा है जहां कुछ व्यक्ति निरुद्ध किये गये थे और बाद में रिहा कर दिये गये। निरुद्ध किये गये व्यक्तियों का कुल योग ५३१ है जिस में से १६५ रिहा कर दिये गये हैं।

जैसा मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बतलाया था, हमें विचारधारा के प्रचार अथवा विभिन्न दलों से कोई प्रयोजन नहीं है। यह अधिनियम तो अनन्य रूप से उन लोगों के लिये बनाया गया है जो हिंसा को प्रेरित करते हैं तथा हिंसात्मक कार्यों में रत होते हैं। मुझे आशा है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए सदन इस बात में मुझ से सहमत होगा कि इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है।

मैं आज सुबह अखबारों में कुछ राज्यों के विधान-मण्डलों में आयव्ययक सत्र के दौरान में पुलिस विभाग के अनुदान पर दिये भाषणों को पढ़ रहा था। सभी जगह राज्यों के

मंत्रियों ने प्रचलित परिस्थिति की नाजुकता पर ज़ोर दिया था। यहां तक कि कुछ राज्यों में, जहां कि ज़मींदारी समाप्त कर दी गई है, यह कहा जाता है कि वहां कृषकीय अशान्ति की सम्भावना है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस अशान्ति को पनपने से पूर्व ही उन्मूलित कर दिया जाये। इस से कोई लाभ नहीं कि हम अशान्ति की परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करें और तब ग़ैर-क़ानूनी सभाओं को भंग करते फिरें तथा कठोर कार्यवाई करें और बड़ी संख्या में लोगों को बन्दीगृह में भेज दें। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यहां १०० और १५० वर्ष पुराने ब्रिटिश न्यायाधीशों के विचारों को उद्धृत किया गया। स्वतन्त्रता की प्रशंसा में अनेक बातें कही गईं। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि ये सब बातें देश विशेष में प्रचलित परिस्थितियों के सन्दर्भ में देखी जानी चाहियें। हम इस सन्दर्भ में जब भी लोकतंत्रीय देशों की बात करते हैं, हमारे मस्तिष्क में केवल दो देश रहते हैं, अन्य तीसरा नहीं। हमारी परवरिश इंग्लिस्तान की परम्पराओं में हुई है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि इंग्लिस्तान में रहने वाला प्रत्येक अंग्रेज़ चाहे वह अनुदारवादी हो अथवा उदार दल का या टोरी हो अथवा मज़दूर दल का, लोकतंत्रीय स्वतन्त्रताओं की अच्छाइयों तथा न्यायिक और खुले मुक़दमों का बड़ा हामी रहा है। किन्तु वहां प्रचलित परिस्थितियां भारत में प्रचलित परिस्थितियों से नितान्त भिन्न हैं। उस देश के आकार की ओर देखिये, एक छोटा सा देश है। उस की जनसंख्या की ओर देखिये : एकमेल है। एक अवसर पर मैं ने कहा था कि हमें अनेक धर्मों वाला देश समझा जाता है। हमारे यहां विभिन्न धार्मिक मतों के लोग हैं। एक अवसर पर एक समाचार पत्र ने कहा था कि एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले अल्पसंख्यकों के लिये कोई सुरक्षा नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है। पच्छिमी देशों में एक ही धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। वे कैथोलिक अथवा प्रोटेस्टेन्ट अथवा ईसाई धर्म के ही किसी और सम्प्रदाय के हो सकते हैं, किन्तु हैं वे सब ईसाई ही। मैं नहीं समझता कि पच्छिमी देशों में अथवा एशिया में कोई भी ऐसा देश है जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या हो, जिसका इतना बड़ा आकार हो, और जिसमें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के लोग एक साथ पड़ोसियों की तरह रह रहे हों।

यहां, मत-अभिव्यक्ति तक में भी, सावधानी बरतने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह आवश्यक तो नहीं है, किन्तु दिल्ली में हुई एक घटना का निर्देश किया गया था। प्रत्येक को विदित है कि क्या हुआ। मेरे लिये यह बतलाना आवश्यक नहीं है कि दोष का भागी कौन था। किन्तु कृपया याद रखिये कि २६ मई को क्या हुआ था। जो माननीय सदस्य इस के विरोध में बोले उन्होंने इस बात का कोई निर्देश नहीं किया। २६ मई को प्रातः जब कि न्यायालय में एक न्यायिक कार्यवाही चल रही थी, न्यायालय के अहाते में बड़ा शोरगुल, बड़ी खलबली, बड़ी उत्तेजना फैल गई। उन दर्शकों के साथ जिनका कि मुक़दमे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, बुरी तरह पेश आया गया, उनकी टोपियां छीन ली गईं, जला दी गईं और उस के बाद जब कि न्यायाधीश ने मामला निर्णीत कर दिया तथा आदेश दे दिये, तो ये लोग दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े तथा अन्य अपराध किये। लोगों के साथ फिर बुरी तरह पेश आया गया। चांदनी चौक में इसी प्रकार का एक दृश्य उत्पन्न किया गया, ट्रामकारों को रोक लिया गया और अनेक लोगों के चोटें आईं--मेरा ख्याल है ११ व्यक्ति घायल हुए थे, दो सख्त घायल, और एक घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राज्य के मुख्य मंत्री तक के साथ भी बुरी तरह पेश आया गया

[डा० काटजू]

और उन पर हमला किया गया। यह सब हुआ, किन्तु इस के लिये एक शब्द भी यहां नहीं कहा गया। यह किस लिये किया गया? यह क और ख के मध्य विवाह का प्रश्न नहीं है, किन्तु यह मत-अभिव्यक्ति का मामला था, लोगों को भड़का दिया गया और वे हिंसात्मक कार्यवाही करने लगे। उसी दिन शाम को ज़िलाधीश ने सोचा कि शान्ति तथा व्यवस्था के लिये सभाओं पर रोक लगाना आवश्यक है। एक सभा, शायद दीवान हाल में, की गई। बाहर लाउडस्पीकर लगा दिये गये और एक बड़ी सभा हुई। हॉल में लगभग ४,००० व्यक्ति थे, हज़ारों व्यक्ति बाहर थे, और भाषण दिये गये।

मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास उन भाषणों के समाचार आये हैं और आज मैंने सदन को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश की है तथा माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके पृष्ठ ४८ तथा ४९ को पढ़ें और देखें कि किस प्रकार के भाषण वहां दिये गये थे। यह कहा गया है कि श्रोतागण काफ़ी उत्तेजित हो गये थे। यह बात स्वीकार की गई थी। मेरा मतलब हमारे साथी श्री देशपांडे द्वारा दिये गये वक्तव्य से है--उन्होंने आप के सामने एक बात का ज़िक्र किया जिस पर कि उन्होंने उस भाषण में ज़ोर दिया था। फ़ुर्सत के समय आप उसे पढ़िये--और उस समय दिल्ली में प्रचलित परिस्थितियां और वातावरण भी स्मरण रखिये। दिल्ली की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और लाखों व्यक्ति बाहर से यहां आ कर बस गये हैं। वे यहां पच्छिमी पंजाब से शारीरिक और मानसिक पीड़ा ले कर आये ह और उन्हें इन लोगों ने सम्बोधित किया था। जो कार्यवाही हम ने की है वह कठोर प्रतीत होती है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह अपवादस्वरूप कार्यवाही थी किन्तु बहुत सम्भव है कि २७ और २८ मई को दिल्ली में उपद्रव हो जाते। यहां की जनसंख्या असाधारण है। यहां लगभग १२ लाख व्यक्ति रह रहे हैं। इसलिये क्या किया जाये? प्राधिकारी, जिन पर प्रशासन का भार है, उन्हें उत्तरदायित्व ग्रहण करना ही है।

ज़िलाधीश के विषय में जो कुछ कहा गया उसे सुन कर मुझे वास्तव में अत्यन्त खेद हुआ। यह पदाधिकारी यहां चार वर्षों से हैं, मेरे आने से बहुत पूर्व से, और वे माननीय सदस्य जो गत चार वर्षों से यहां संविधान परिषद् के सदस्य रहे हैं पूर्णतः उन परिस्थितियों से अवगत होंगे जो दिल्ली में १९४७ और १९४८ से चलती आ रही हैं। और मैं स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि इस पदाधिकारी ने यहां शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने में अत्यन्त क्षमतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाया है। मैं समझता हूं कि यहां एक भी सभा में लाठी-चार्ज नहीं हुआ है और फिर भी लोग यहां आकर ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप करते हैं जो अपनी सफाई देने के लिये यहां मौजूद नहीं है।

कलकत्ते की ओर देखिये। मुझे खेद है कि जिन माननीय सदस्य ने अपनी वक्तृता में मुझ पर इतने व्यक्तिगत आक्षेप लगाये थे, वह यहां मौजूद नहीं हैं। किन्तु कलकत्ते में क्या हो रहा है? भूख प्रदर्शन। बिलकुल सही। वहां विधान-सभा की बैठक हो रही है। यहां संसद् की बैठक हो रही है। बंगाल विधान-मण्डल में २३८ सदस्य हैं। आप खाद्य-सम्बन्धी प्रत्येक प्रश्नों पर आन्दोलन कर सकते हैं किन्तु सारा मामला यह है "हमें विधान सभा तक चले जाने की और वहां दुर्व्यवस्था फैलाने की आज्ञा दी जाये।" पुलिस कहती है कि आप ऐसा मत कीजिये। पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया था। आदेश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा

रहा है, दिन रोज़ उल्लंघन किया जा रहा है। लोग जमा होते हैं, पुलिस भीड़ को तितर बितर करती है। ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। खौलता हुआ पानी फेंका जाता है। बम फेंके जाते हैं। इन तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

मेरे माननीय मित्रों ने कहा "मामले की तह में जाइये, लोगों के दिमाग़ों को पढ़िये।" किन्तु लोगों के दिमाग़ों से क्या करना है ? एक समाचार जो मैं ने पढ़ा था यह था कि एक ट्रामकार में आग लगा दी गई। यह जल जाने वाली थी। ऐसा हुआ कि एक सचल पुलिस दस्ता वहां आ पहुंचा और उपद्रव को शान्त किया। ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं।

इस शहर में लगभग ५० लाख व्यक्ति रहते हैं। विद्यार्थी और युवक वर्ग आसानी से उत्तेजित किये जा सकते हैं। लोग वहां जाते हैं और उन्हें उत्तेजित करते हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में हमें क्या मंत्रणा देंगे ? क्या यह स्थिति चलने दी जाये और आदेश वापस ले लिया जाये तथा विधान-सभा की कार्यवाही सुरक्षा-पूर्वक न होने दी जाये ? मेरा निवेदन यह है कि निवारक-निरोध विधेयक किसी राजनीतिक मत को दबाने के लिये नहीं है। ऐसा समझना बड़ी ग़लती है। कल कुछ वक्ताओं ने कहा, "यह राजनीतिक दलों के दमन के लिये है, हिन्दू महासभा तथा उड़ीसा के गणतंत्र परिषद् तथा अन्य लोगों के दमन के लिये।" यह बिल्कुल निराधार और ग़लत आरोप है, क्योंकि यदि इस प्रकार की तनिक भी बात होती तो अनेक लोग जो यहां मौजूद हैं यहां न आ सके होते। मैं बार-बार एक ही बात को नहीं दोहराना चाहता, किन्तु जो लोग इस समय निरुद्ध हैं उनकी ओर देखने से स्पष्ट ही यह विदित होता है कि मत-प्रसारण में बाधा डालने की तनिक भी मंशा नहीं है। इस बात पर भी मत-वैभिन्न हो सकता है। मुझे खेद है कि कलकत्ते के माननीय सदस्य किसी निजी कारणवश यहां मौजूद नहीं हैं। अन्यथा मैं ने उन के १३ फ़रवरी, १९५१ को इस सदन में दिये गये भाषणों में से कुछ उद्धरण पढ़े होते। किन्तु मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता .....

कुछ माननीय सदस्य: कृपया उन्हें पढ़िये। इसम दो मिनट लगेंगे।

डा० काटजू: पहला वाक्य जो मेरे मस्तिष्क में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे माननीय मित्र ने कल अपने भाषण में श्रद्धेय पंडित मोतीलाल नेहरू के एक भाषण में से कुछ उद्धरण पढ़े। मैं समझता हूं कि इस सदन में केवल उनके सुपुत्र को छोड़ कर और शायद मेरे मित्र श्री पुरुषोत्तम दास टंडन को छोड़ कर मुझे उन्हें जानने और उनके चरणों में बैठे का सब से अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंडित मोतीलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी चीज़ जिसने मुझ पर प्रभाव डाला है उनकी यथार्थवादिता है। दृढ़ता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध सूत्र के वे प्रणेता हैं। वे एक अन्य सूत्र के भी प्रणेता हैं कि यदि कोई अंग विकारपूर्ण हो तो उसे काट दीजिये। हमारे श्रद्धेय नता द्वारा ३० वर्ष पूर्व के कथन में से वाक्य उद्धृत करना हमारे लिये बड़ी अनुचित बात है, मैं नहीं जानता कि आज की परि-स्थितियों में उन्होंने क्या किया होता। किन्तु जहाँ तक कलकत्ते के मेरे माननीय सदस्य के भाषण का सम्बन्ध है उन्होंने मंत्रणा बोर्ड के बारे म कुछ कहा जिस के सम्बन्ध में पंडित मोतीलाल नेहरू ने पहले कहा था कि मुझे संतोष नहीं होगा यदि उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के स्थान पर तीन देवदूत ही क्यों न हों। किन्तु डा० मुखर्जी ने—मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उस समय किस का प्रतिनिधित्व किया था—तब यह कहा था "

[डा० काटजू]

"हम सरकार की चाहे कितनी भी आलोचना करें हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि संशोधक विधेयक में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तनों--अच्छे परिवर्तनों--की अपेक्षा की गई है। मंत्रणा बोर्ड अब समस्त मामलों को व्यवहृत कर सकेगा। यह बात पूर्णतया स्पष्ट नहीं है कि ऐसे लोगों के मामले भी इस में आयेंगे या नहीं जो कि तीन मास से कम समय से निरुद्ध हैं। वाद विवाद का उत्तर देते समय निश्चय ही गृह मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे। वास्तव में, प्रत्येक बात को देखते हुए यह वांछनीय होगा।"

तत्कालीन गृह मंत्री ने तब कहा : 'निरोध का प्रत्येक मामला बोर्ड के सम्मुख जायेगा।', तब डा० मुखर्जी नें अपना भाषण जारी रखते हुए कहा : "मुझे प्रसन्नता है कि समस्त मामलों पर उन लोगों के मामलों सहित जो कि तीन वर्ष से कम काल से निरुद्ध किये गये ह, मंत्रणा बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा। हमें इस उपबन्ध की महत्ता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि स्वयं संविधान के अन्तर्गत सरकार के लिये यह कतई अनिवार्य नहीं है कि तीन मास से कम समय से निरुद्ध किये गये व्यक्तियों के मामले भी वह मंत्रणा बोर्ड के सम्मुख रक्खें और यदि गृह मंत्री जी का उनके मामलों को भी इसमें सम्मिलित करने का विचार है तो यह वास्तव में अच्छी ही बात है।"

किन्तु अब मंत्रणा बोर्ड बिल्कुल निकम्मी वस्तु हो चुकी है, देखने लायक भी नहीं है।

तब डा० मुखर्जी ने जारी रखते हुए कहा :

"क़ैदी को पेरोल पर छोड़ने का जो उपबन्ध है वह भी अच्छा है क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे अनेक मामले हुए हैं जिन में कि इस प्रकार का उपबन्ध न होने के कारण लोगों को कष्ट सहना पड़ा है। मैं सरकार को इन परिवर्तनों पर बधाई देता हूं।"

निस्संदेह यह राजा जी का सौभाग्य था, जिनको मेरे मित्र ने एक महान लोकतंत्रवादी कह कर पुकारा था, और अब यह मेरा दुर्भाग्य है--जब कि राजा जी यहां मौजूद नहीं हैं, और मैं उनका स्थान ग्रहण कर रहा हूं, और मैं नहीं जानता कि मैं लोकतंत्रवादी हूं अथवा प्रतिक्रियावादी या प्रगतिवादी--कि मुझे ये सब भर्त्सनायें मिलती हैं, जब राजा जी को फूल और मालायें मिलती थीं।

जैसा मैं ने कहा, अन्य वाक्यांशों को पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दोहराने से कोई लाभ नहीं है। हमें खेद है कि वह आज यहां सदन में मौजूद नहीं हैं।

श्री फ्रेंक एन्थनी के भाषण के सम्बन्ध में, जो कि उन से पहले बोले थे, और जिन्होंने इस विधेयक का प्रारम्भ से अन्त तक खंडन किया था, डा० मुखर्जी ने कहा है :

"एक वर्ष पूर्व जब कि मूल विधेयक को क़ानून का रूप दिया गया था, मैं सरकारी सदस्य था, और उसी दृष्टिकोण से मैं इस समस्या पर विचार करूंगा क्योंकि मुझे विदित था कि किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर सरकार को इस प्रकार का कठोर विधेयक सदन के सम्मुख लाना पड़ा था ; और गत दस मासों में मुझे जो न केवल अपने प्रान्त के वरन् समस्त देश के, विशेषकर इस अधिनियम के कार्यकारण के सम्बन्ध में, दृष्टिकोणों से सम्पर्क में आने का अवसर मिला है, उन को भी मैं इस समस्या के विचार में ध्यान में रक्खूंगा।"

ये दस मास क्या थे, यह बात आसानी से जानी जा सकती है--उन्होंने अप्रैल, १९५० में त्यागपत्र दिया था और यह भाषण फ़रवरी, १९५१ में दिया गया था।

इस समय में जो भी नई चीज़ हुई है वह है उनका अनेक अन्य दलों से सम्पर्क। तब डा० मुखर्जी ने जारी रखते हुए कहा :

"श्री एन्थनी ने जिस लहजे में भाषण किया उसके कारण हो सकते हैं। वास्तव में जब मैं उनका भाषण सुन रहा था तो कहीं कहीं तो मुझे लगता था जैसे मार्क एन्थनी किसी सभा को सम्बोधित कर रहे हों। जो भी हो, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे कि हम मामूली महत्व का समझ लें। वास्तव में स्वयं माननीय गृह मंत्री ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि वह इसे भारी हृदय के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी नागरिकों का बिना मुक़दमे के निरुद्ध किया जाना पसंद नहीं करता, और विशेषकर इस सदन के माननीय सदस्य, जिन में से कि अनेक अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन काल में बिना मुक़दमा चलाये ही निरुद्ध किये गये थे, और बाहर के अनेक व्यक्ति भी जिन्होंने कि पुरानी राज्य-सत्ता के अन्तर्गत इस प्रकार कष्ट सहे थे।"

फ़रवरी १९५१ के इन वक्ता ने सरकार को विधेयक में परिवर्तन करने पर बधाई देने के साथ-साथ उसे एक और परामर्श दिया था। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक साम्यवादियों के प्रति मुलायम है जिन्होंने कि अपनी हिंसा की नीति का त्याग नहीं किया है और इसलिये व्यक्तिरूप से निवारक निरुद्ध विधेयक को लागू करने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा 'पूरे दल को ही आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत ग़ैरक़ानूनी क़रार दे दीजिये। आज कौन सा राजनीतिक दल सरकार की राय में हिंसात्मक प्रणाली अपनाता है ? यदि साम्यवादी, व्यक्तिगत रूप से नहीं, वरन् एक दल के रूप में, इस प्रणाली पर चलते हैं तो, भारत के साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दीजिये।' उस समय उन्हों ने कहा था कि समस्त साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था "साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाते ही आप इसके कोष को अधिकृत कर लीजिये, इस दल को अनिवार्य रूप से विघटित कर दीजिये।" यदि मुझे ठीक स्मरण है तो ऐसा करने से इस दल का प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष के लिये और उसका प्रत्येक पदधारी भी तीन वर्ष या उससे अधिक काल के लिये कारावास का भागी हो जाता है।

उसमें कोई हानि नहीं है। इस विधेयक में हानि है जिस में कि गत वर्ष डा० मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित सुधारों से भी अधिक सुधार किये जा रहे हैं। जहाँ तक मंत्रणा बोर्ड के सम्मुख सुनवाई का प्रश्न है, प्रतिनिधान करने का अधिकार है। निरोध काल की अवधि भी निश्चित कर दी गई है कि १२ मास से अधिक काल के लिये निरुद्ध नहीं किया जा सकता। और इस सब के भी ऊपर एक विशिष्ट उपबन्ध है जिसके अनुसार किस पदाधिकारी द्वारा किसी को निरुद्ध किय जाने का आदेश जारी करने के १५ दिन के अन्दर ही उसकी स्वीकृति सरकार द्वारा ली जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक मामला स्वयं मंत्रियों द्वारा देखा जाना चाहिये। मैं बिलकुल सहमत हूं। वास्तव में यही होता भी है। उनसे इसी बात की अपेक्षा की गई है। कृपया यह भी स्मरण रखिये कि जो पदाधिकारी ऐसा आदेश जारी करने के अधिकारी हैं, वे साधारण पदाधिकारियों में से नहीं हैं। वे पुलिस इन्सपेक्टर अथवा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं हैं। वे ज़िलाधीश हैं जो लाखों व्यक्तियों के ऊपर बड़े अधिकार व्यवहृत करते हैं। उत्तर प्रदेश में ३० लाख तक की जनसंख्या के ज़िले हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल में सब जगह ऐसा है। मिदनापुर ज़िले की शायद बहुत अधिक जनसंख्या है। केवल ज़िलाधीश ही यह कार्यवाही कर सकता है। और वास्तव में तो मैं कई भाषणों को समझ

[डा० काटजू]

भी नहीं सका क्योंकि आजकल कुछ ऐसी प्रथा सी बन गई है कि चाहे जो भी मौका हो, पुलिस के विरुद्ध, हमारे अपने पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़े कटु शब्द निकाले जाते हैं। जब हमारे सम्मुख यह प्रश्न था कि अपनी निष्ठा किसके प्रति रखें, जब विदेशी लोग हमारे स्वामी बने हुए थे, और हम अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे, उस समय तो मैं इस प्रकार की आलोचना की मनोवृत्ति को समझ सकता था। किन्तु निष्ठा-विभाजन का अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये पदाधिकारी, ये पुलिसमैन, आपके सम्बन्धी हो सकते हैं, मेरे सम्बन्धी हो सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालयों के पुष्प हो सकते हैं और उनके विषय में यह कहना कि वे सब के सब भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचर के अलावा वे सब हरएक को कारागार में भेजने के लिये तैयार हैं, बात को अत्यन्त अतिरंजिता के साथ कहना है। मैं इस प्रकार की मनोवृत्ति को पसंद नहीं करता।

अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं—न्यायाधीशों के निर्णयों से दिये गये उद्धरणों पर। मैं कुछ भरोसे और उत्तरदायित्व के साथ कहता हूं। न्यायाधीश हमारी स्वतन्त्रता के रक्षक हैं, हमारे संविधान तथा विधियों के व्याख्याकार हैं। उन पर हम विधि के व्याख्याकारों के रूप में भरोसा कर सकते हैं किन्तु नीति के उच्च प्रश्नों के मामले में उन की मंत्रणा लाभदायक नहीं हो सकती। नीति के प्रतिपादकों के रूप में वे वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं हैं। न्यायाधीश एक अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं—और उन्हें करना चाहिये। उन्हें एक अलगाव के वातावरण में, सब दलों से परे रहना चाहिये क्योंकि किसी भी दिन उन से व्यक्ति-व्यक्ति के बीच नागरिक और राज्य के बीच न्याय करने को कहा जा सकता है,—वास्तव में प्रति दिन कहा जाता है। इसलिये उनका नीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उन का कार्य केवल विधि की व्याख्या करना है।

तो जो उद्धरण दिये गये थे वे भर्त्सनात्मक थे। विधि न्यायालयों में एक पद प्रचिलत है जो 'अप्रासंगिक अभिव्यक्ति' कहलाता है। परिणाम यह होता है कि प्रसिद्ध न्यायाधीश अपने साथी न्यायाधीशों की 'अप्रासंगिक अभिव्यक्ति' की निन्दा करते हैं। एक विद्वान न्यायाधीश ने मुझे कलकत्ते में एक बार बतलाया कि कभी कभी वे लोग अपने को बड़ी कठिनाई में पाते हैं। उच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सब कोई अपना निर्णय देते समय अपनी 'अप्रासंगिक अभिव्यक्ति' करते हैं। और वकीलों द्वारा वह उद्धृत की जाती हैं। तब क्या किया जाय? इस लिये अत्यन्त प्रसिद्ध न्यायाधीशों का ३०० वर्षों से यह उपदेश रहा है: अपने को वस्तु विषय तक सीमित रखिये, अपने को प्रस्तुत मद तक सीमित रखिये और अपना निर्णय उसी प्रस्तुत विषय पर ही दीजिये। किन्तु, श्रीमान्, यहां तो माननीय सदस्य अप्रासंगिक अभिव्यक्ति तथा भाषण करते हैं। इस में मुझे सन्देह नहीं कि वे वाक्य कहे गये थे। किन्तु यदि मेरे पास पर्याप्त समय और शक्ति हो तो मैं ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां संकलित कर सकता हूं जो कि ठीक उन के विरुद्ध हैं। मैं मानता हूं कि सामान्य परिस्थितियों में बिना मुकदमा चलाये कभी निरुद्ध नहीं करना चाहिये—यह ठीक नहीं है।

अब हम अनेक मामलों के इतिहास पर आते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन ने जिन्होंने कि अनेक कष्ट उठाये हैं—हम सभी ने काफ़ी कष्ट उठाये हैं—आप के सम्मुख निरोध करने के कारणों का एक लम्बा इतिहास प्रस्तुत किया। वास्तव में मैं यह नहीं जानता कि ये कौन से अधिनियम थे क्योंकि यहां जो

अधिनियम लागू हुआ था वह सन् १९५० में लागू हुआ था। उस समय वह मामला प्रान्तों के अधिकार में था। हो सकता है कि वहां ज़िलाधीशों अथवा पदाधिकारियों ने गलतियां की हों। हो सकता है कि उन्हों ने सोचा हो कि मंत्रणा बोर्डों की सूचना के लिये निरुद्ध व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी देना अत्यन्त आवश्यक हो। यह अनावश्यक ही क्यों न हो किन्तु ऐसा होता था। जब मैं सन् १९४० में व्यक्तिगत अवसा आन्दोलन के दिनों में मुकदमे के लिये ले जाया गया था तो मेरे विरुद्ध यह आरोप था कि मैं ने यह सूचना दी है कि मैं दस दिन बाद एक विशिष्ट सभा में भाषण दूंगा। हो सकता है कि मैं ने अपना इरादा बदल दिया होता और मैं वहां न गया होता। किन्तु ज़िलाधीश ने मुझ पर मुकदमा चलाया। मैं ने कहा "मेरा इरादा कार्यवाही में भाग लेने का नहीं है।" किन्तु वकीली मनोवृत्ति मेरे अन्दर अपना कार्य कर रही थी और मैं ने कहा, "किन्तु आप स्वयं यह देख लें कि कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं।" उन्हों ने बात नहीं सुनी। उन्हों ने कहा, "अपराध साबित हुआ।" सूचना देना पर्याप्त है; और उन्हों ने मुझे अपराधी प्रमाणित किया ग्यारह मास पश्चात् एक अन्य व्यक्ति ने इस बात को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उठाया और उस से पूर्व लाहौर उच्च न्यायालय में, और उन्हों ने कहा कि यह सूचना देना कि आप १० दिन बाद भाषण कर सकते हैं न तो तैयारी है और न प्रयास। आप जा सकते हैं।

मेरा तात्पर्य यह है। गलतियां होती हैं। किसी अधिनियम की अथवा उस में निहित सिद्धान्तों की अथवा उस में निहित नीति की गलत न्याय को आधार बना कर निन्दा नहीं की जा सकती। यदि न्याय में गलतियों की सम्भावना न होती तो आप को उच्च न्यायालय की आवश्यकता न होती, उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता न होती। मुझे खेद है कि एक प्रसिद्ध वकील यहां मौजूद नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के सम्मुख जो भी अपील वे प्रारम्भ करते हैं वह इस प्रकार प्रारम्भ करते हैं, "माई लार्डस इस मामले में न्याय की हत्या हुई है।" खुला मुकदमा, दो विद्वान न्यायाधीश--और वह कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। मैं खुले मुकदमों की निन्दा नहीं कर रहा हूं--मैं खुले मुकदमों के पक्ष में हूं--किन्तु खुले मुकदमों में हो सकता है कि सब न्यायाधीश एक हत्या के अपराध लगाय गये व्यक्ति को रिहा कर दे. अपील पर उच्च न्यायालय कहता है, "नहीं, सब न्यायाधीश गलती पर था, हम इस अपराधी को फ़ांसी की सज़ा देते हैं।" इसलिये आप गलत निर्णयों की एक लम्बी सूची दे कर आपराधिक प्रक्रिया संहिता अथवा दंड विधान की निन्दा नहीं करते हैं ना ही आप उप न्यायाधीश अथवा सत्र-न्यायाधीश की यह कह कर निन्दा करते हैं कि उन के विरुद्ध अपील की स्वीकृति दे दी गई। इन मामलों पर एक भिन्न दृष्टिकोण के विचार करना होता है।

अब श्री चटर्जी की बात आती है: "गृह मंत्री को यह करना चाहिये।" गृह मंत्री के प्रति इस निष्ठा और प्रेम को मैं नहीं समझ सकी। सरकार में एक व्यक्ति एक विभाग के चार्ज में रहता है--उसे गृह मंत्री कहिये, पुलिस मंत्री कहिये, मुख्य मंत्री कहिये, जो भी वह हो--और तर्क यह कि जो भी व्यक्ति उस विभाग का कार्य कर रहा हो उसे शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करना है। यह बात वास्तव में हमारी आंग्ल-सहचारी परम्पराओं से आती है क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने इंगलैंड के निवारक निरोध अधिनियम को पढ़ा जहां कि गृह मंत्री इस बात को व्यवहृत करता है और कहा, "इस लिये आप भी गृह मंत्री से यह कराइये।"

[डा० काटजू]

यह है सारी परिस्थिति । मैं ने अनेक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । मैं ने काफ़ी समय ले लिया है। किन्तु सिद्धान्त रूप से यह विधेयक बिल्कुल उपयुक्त है इसे परख लिया गया है । जैसा मैं ने कहा, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता । किन्तु हम सब समाचार पत्र पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है--आसाम में, नेपाल में, तिब्बत में और पाकिस्तान में । फिर कोरिया का मामला है जिस की छाया सारे संसार में पड़ रही है, हमें इस से सावधान रहना है । दूसरे, हमें आन्तरिक उत्तेजना के प्रति सावधान रहना है, और यह उत्तेजना अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है । मैं ने विभिन्न दलों के मध्य हृदय ऐक्य का जो हानिरहित वाक्य प्रयुक्त किया था उस पर आपत्ति उठाई गई थी । विभिन्न दल जो अभी अभी सदन से बाहर उठ कर चले गये हैं उन का हृदय ऐक्य इस विधेयक के किसी अनिष्टकारी खंड के प्रति अप्रियता का द्योतक है, अथवा स्वातन्त्र्य सिद्धान्त के प्रति अत्याधिक प्रेम तथा स्नेह का या यह हृदय ऐक्य केवल एक पारस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है अर्थात् इस सरकार के प्रति अथवा कांग्रेस दल के प्रति घृणा ? वास्तव में अपना काम निकालने मात्र के लिये यह एक अल्पस्थायी समझौता है--स्थायी प्रेम नहीं है । यहां अथवा कहीं भी, साम्यवादी दल को प्रचलित स्वतन्त्रता सिद्धान्तों से क्या करना है। अन्य मित्रों को विनियत्रंण से क्या करना है ? जैसा मैं ने बतलाया, हमारे संविधान में आवश्यक वस्तुओं के प्रश्न पर सावधानीपूर्ण निगरानी रखने का उपबन्ध किया गया है । इस पर निगरानी रखनी ही ह। हूसीलिय शान्ति की रक्षा तथा उत्तेजना को रोका जाना ज़रूरी है । आज कल देश में अनेक असंतोष-जनक बातें हो रही हैं । कुछ समय पूर्व यहां भाषावार प्रान्तों पर कई दिन तक चर्चा हुई थी । कभी कभी मुझे यह चीज़ विचलित कर देती थी कि हमारे देश की एकता के प्रति कितनी बेरुखी बरती जा रही है । आप अपना मतप्रतिपादन कर सकते हैं परन्तु इस के सम्बन्ध में हिंसा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । किन्तु ये बातें अब भी हो रही हैं । इस लिये इस विधेयक की आवश्यकता है और मेरा यह निवेदन है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिये ।

मुझे नहीं मालूम कि प्रवर समिति के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया होगी । मेरा ख्याल था कि जब कोई विधेयक प्रवर समिति को जाता है तो वह मान कर कि इस में सन्निहित सिद्धान्त स्वीकार्य हैं और समिति में हम केवल छोटे मोटे मतभेद पाट देते हैं । इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय हम ने प्रारम्भ से अन्त तक समस्त अधिनियम पर सावधानी के साथ विचार किया था ओर जहां जहां सुधार की आवश्यकता थी वे भाग हम ने छांट लिये और आवश्यक सुधार कर दिया । दूसरी धारायें मेरे विचार में कम महत्व की हैं---वे प्रक्रियात्मक हैं । यदि कोई माननीय सदस्य, भले ही वह प्रवर समिति के सदस्य न हों, मुझ से कहें कि अमुक चीज़ पर विचार किया जाय तो मैं बड़ी प्रसन्नता सहित ऐसा करूंगा, इस प्रकार के प्रक्रियात्मक मामलों में, चाहे समिति को यह निदेश दिया जाय अथवा नहीं, यह चीज़ तो सदा की ही जा सकती है । किन्तु आधारभूत शर्त यह है कि हम प्रवर समिति को विधेयक के सिद्धान्त के प्रश्न में, कटु विवाद का स्थान न बना दें । यह एक सारभूत बात है । मुझे प्रवर समिति के इस या उस बात पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है । जैसा मैं ने कहा, जहां तक कि सुझाव भेजने का प्रश्न है, मैं समस्त सदन को

ही प्रवर समिति की प्रकार व्यवहृत करन को तैयार हूं। आप विश्वास रक्खें कि मैं विधेयक में हर प्रकार का सुधार करने को प्रस्तुत हूं, किन्तु अन्य धाराओं पर वास्तव में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि आप समझते हैं कि उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है वे महत्वपूर्ण विषय हैं तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। इस विधेयक के प्रस्तुत स्वरूप में, जिस के प्रणेता राजाजी थे और जिन्हें डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक महान जनतंत्री कहा था, हम ने व्यक्तिगत प्रतिनिधान का अधिभार दिया है। किन्तु मैं वकीलों से सम्मिलित व्यक्तिगत प्रतिनिधान की आज्ञा देने की सीमा तक नहीं जा सकता। मैं स्वयं वकील भ्रातृत्व का सदस्य हूं। प्रत्येक राज्य सरकार इस के विरुद्ध है और मैं स्वयं इस के विरुद्ध हूं। अनेक ऐसे मामले हैं जिन पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और वे मामले तत्कालिकता तथा गोपनीयता के मामले हैं। मंत्रणा बोर्ड में समझदार लोग हैं। निरुद्ध व्यक्ति उन के पास जायें वे उन के सम्मुख प्रतिनिधान करें, वे मंत्रणा बोर्ड से इस मामले में आगे विचार करने को कहें। मंत्रणा बोर्ड कोई भी सूचना मांग सकता है और वे सूचना उसे दी जायेगी। किन्तु मंत्रणा बोर्ड को एक न्यायिक मंडली बना देना, जैसा कि कुछ संशोधनों में अपेक्षा की गई है, विधेयक के स्वरूप को बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। अंग्रेजी अधिनियम में इस की अनुमति नहीं थी। इस के अतिरिक्त आप जो चाहें सुझाव दे सकते हैं, किन्तु यह बात सारभूत है।

अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं एक बात का निर्देश, जो व्यक्तिगत स्वरूप का है, और करना चाहूंगा। इस के लिये भी, मुझे खेद है कि डा० मुखर्जी यहां मौजूद नहीं है। उन्हों ने बार बार यह कहा कि मैं ने फ़रवरी में एक प्रकार का वचन दिया था कि समस्त विधेयक सदन के सम्मुख लाया जायगा। उन्हों ने एक दो वाक्य भी पढ़े। जब आप मिनटों तक एक असम्बद्ध भाषण देते रहते हैं तो एक दो वाक्य ऐसे आ सकते हैं जो स्पष्ट न हो पायें। मैं ने जो कहा था वह यह है:

"दो या तीन मास के भीतर ही नवीन संसद की बैठक होगी और सरकार वर्तमान स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यदि वह ठीक समझे तो, संसद से इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने अथवा इसे संशोधित करने को कह सकती है।"

वह वचन मैं ने दिया था और इस का पूर्णतया पालन किया है। मैं ने बार बार यह कहा है कि यह संसद् के ऊपर निर्भर है कि वह चाहे तो इस प्रश्न पर पूर्णतया वाद विवाद कर सकती है। निस्सन्देह आप यह कह सकते हैं कि आप इस अधिनियम की अवधि को बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहते और यदि आप का संख्या-बल पर्याप्त है तो यह अधिनियम पारित नहीं हो सकता, किन्तु मैं ने स्वयं ही बतलाया कि मैं इस सब पर विचार करूंगा तथा संसद से इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने अथवा इसे संशोधित करने को कहूंगा। हम ने इस में विभिन्न सुधार करने के लिये इसे संशोधित करने का प्रयत्न किया है और मुझ पर अपना वचन पूरा न करने का आरोप लगाना मेरे प्रति अत्यन्त अनुचित बात है।

मेरे माननीय मित्र ने मेरा उद्धरण प्रस्तुत किया। मुझे नहीं मालूम कि किन परिस्थितियों में मैं न यह बात कही थी। किन्तु आज सन् १९५२ में हम भारत के ३६ करोड़ व्यक्तियों के साथ अपना स्वयं का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर रहे हैं और यह महान भारत, शायद इतिहास में प्रथम बार, जनता के शासन के अन्तर्गत आया है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले तथा

[डा० काटजू]

विभिन्न दृष्टिकोणों के लोग रहते हैं। राजस्थान में सैंकड़ों वर्षों से लोग जागीरदारी के अंकुश में रह रहे हैं। अब जीवन पर उन का समस्त दृष्टिकोण ही बदल गया है। फिर, आसाम तथा उड़ीसा आदि के आदिम जाति के लोग हैं जो भिन्न दशाओं में रह रहे हैं। मैं शासकों पर आरोप नहीं लगाता। मैं चाहता हूं कि भगवान की कृपा से वे वास्तविक जनतन्त्री बन जायें। इसलिये मैं कहता हूं कि महज़ अनर्थक वार्ता तथा नारों के लिये हमें देश की एकता को खतरे में नहीं डालना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि हमारी आज़ादी का कोमल पौधा बिना कठिनाई के एक मज़बूत वृक्ष बन जाये। मुझे यही कहना ह और मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

जहां तक कि प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रस्ताव का सम्बन्ध है, निस्सन्देह ही इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : हैदराबाद के लिये आप ने जो नम्बर बताया है उस में ब्लैक मार्केटर्स कितने हैं और दूसरे लोग कितने हैं, खास कर तैलंगाना का नम्बर क्या आप को मालूम है ?

डा० काटजू : जब मैं ने अपनी पहली तकरीर की थी उस वक्त ब्लैक मार्केटर्स का टोटल ९३ था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब अखबारों में कुल नम्बर ९३१ निकला। मुझे मालूम नहीं किस ने उस में १ और बढ़ा दिया। यह नम्बर ९३ था। अब पहली मार्च से ले कर आज तक जो लोग पकड़े गये हैं वह इन ९३ में शामिल नहीं हैं। जो इत्तला मेरे पास आई है उस के मुताबिक २७ तो बंगाल में हैं, २ महाशय हैं मद्रास में, जहां अब डिकंट्रोल हो गया है। २३ आदमी पंजाब में हैं। इन के अलावा १०, ५ इधर उधर हों तो मैं कह नहीं सकता। हैदराबाद की तफ़सील नहीं दी हुई है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : अगर तैलंगाना और दूसरे जिलों के बारे में मालूम हो तो बबला दीजिये।

डा० काटजू : हैदराबाद की तफ़सील नहीं है। यह ज़रूर आया है कि ८२ डेटेन्यू हैं जिन में से ३१ छूट गये और १६ को पैरोल पर छोड़ा गया है।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) : मूल अधिनियम की धारा ७ (२) में उपबन्धित है कि इस धारा की उपधारा (१) में अधिकारियों से तथ्यों को प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यदि अधिकारी उन का प्रगट करना जनहित के विरुद्ध समझें। इस पर आपत्ति उठाई गई थी और मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने इस के लिये क्या किया; यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के कारण-सम्बन्धी तथ्य न प्रदान किये जायें। जब कि सरकार यह समझती हो कि उन तथ्यों का प्रगट करना जनहित के विरुद्ध है इस का अर्थ यही होता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बतलाये निरुद्ध किया जा सकता है सरकार को इस बात के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

डा० काटजू : अधिनियम के अन्तर्गत निरोध के कारण दिखलाने पड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चीज़ यह है कि एक उपबन्ध है कि यदि सरकार यह समझे कि सूचना प्रगट करना जनहित के प्रतिकूल होगा तो वह सूचना देने को बद्ध नहीं होगी। इस बात के बारे में गृह मंत्री को क्या कहना है ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर कठिनाई से ही उपस्थित होंगे और शायद इस में एक बड़ी आरोप सूची में से केवल एक ही मुद्दे की ओर निदश किया गया है। इस मामले में हम प्रवर समिति में विचार कर सकते हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं अधिक समय तक सदन के सम्मुख भाषण नहीं करूंगा। मैं एक दो मिनट ही बोलूंगा और वह भी इस लिए कि कल एक माननीय सदस्य ने मेरा निर्देश किया था और मैं समझता हूं कि सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये मुझे कुछ शब्द कहने चाहियें वास्तव में मेरे साथी माननीय गृह मंत्री ने स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है। कल शाम विरोधी दल के सदस्य ने जो निवेदन अथवा सुझाव दिया था वह प्रवर समिति के काम के सम्बन्ध में था। जहां तक मेरे साथी माननीय गृह मंत्री का तथा मेरा सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि प्रवर समिति इस विधेयक पर पूरी तरह विचार करे और इस की प्रत्येक धारा पर विचार करे। हम उन के विचारों को बांधना नहीं चाहते और समिति के प्रत्येक सम्भव सुझाव पर हम सहर्ष विचार करेंगे।

श्री वी० जी० दशपांडे (गुना) : हमारे मतदान पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि गृह मंत्री जी सरदार हुक्म सिंह का संशोधन स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। अतएव हम यह जानना चाहते हैं कि वह इसे स्वीकार करते हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : चीज़ यों है : सरदार हुक्म सिंह के संशोधन के अनुसार : "समस्त संशोधनों पर, १९५० के अधिनियम को उन धाराओं पर भी जिन के संशोधन को अपेक्षा इस विधेयक में नहीं की गई है, विचार कर लेने के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाये . . . ." प्रश्न यह है कि यह बात सरकार को स्वीकार्य है अथवा नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे सरदार हुक्म सिंह के संशोधन की शब्दावली तो ठीक से स्मरण नहीं है किन्तु मैं समझता हूं यह स्वीकार्य नहीं होगा। किन्तु प्रवर समिति इस विधेयक को संशोधित करने की दृष्टि से जिस धारा पर भी विचार करना चाहे हम उसे अनुमति देने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री का आशय उस विधेयक को किसी भी धारा से है जो कि प्रवर समिति को सौंपा जाने वाला है न कि मूल अधिनियम की किसी धारा से ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि उस सम्बन्ध में मूल अधिनियम की कोई धारा सामने आये तो निश्चय ही उस पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं समझता हूं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

इस लिये स्थिति इस प्रकार है : सरकार अधिनियम की किसी धारा में संशोधन करने के प्रश्न को समिति को दिये गये निदेशों में सम्मिलित करने में प्रस्तुत नहीं हैं किन्तु वह ऐसे संशोधन पर विचार करने के लिये तैयार है जो कि संगत हों और प्रस्तुत विधेयक को प्रभावित करते हों। केवल उस सीमा तक . . . . . .

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : श्रीमान्, हमारी कठिनाई यह है। कल हमारी ओर से डा० श्यामा प्रसाद मखर्जी ने बोलते हुए यह कहा था प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार करने के लिये हम यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार यह स्थिति मानने को तैयार है कि हम मूल अधिनियम पर भी विचार कर सकें, उस पर चर्चा कर सकें तथा उस के उपबन्धों के संशोधन प्रस्तुत कर सकें। अतएव प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार करने से पूर्व हम स्वभावतः ही यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है या नहीं कि हम मूल अधिनियम पर विचार कर सकें और उस में संशोधन सुझा सकें।

आप अपना निर्णय दे चुके हैं। किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि सरकार ने उसे

[श्री ए० के० गोपालन]

स्वीकार नहीं किया है नहीं उसने यह स्पष्ट किया है वह मूल अधिनियम पर संशोधनों की अनुमति देगी। यह कहने में कि कोई संशोधन आने पर हम विचार करेंगे और यह कहने में कि आप को मूल अधिनियम के उपबन्धों पर विचार करने का अधिकार है, अंतर है। प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार करने से पूर्व हम इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते हैं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : श्रीमान्, आप का विनिश्चय बिल्कुल स्पष्ट है और हम इसे स्वीकार करते हैं। किन्तु आप ने सदन द्वारा अमुक अमुक निदेश दिये जाने की सम्भावना को बिल्कुल समाप्त नहीं किया है और यदि सरकार का दृष्टिकोण यह है कि वह अन्य धाराओं के संशोधनों पर भी विचार करने को तैयार है तो मेरे संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं मैं ने अपनी बात काफ़ी स्पष्ट कर दी थी। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार करने पर, समस्त विधेयक पर विचार किया जा सकता है।

श्री **एस० एस० मोरे** : अधिनियम, विधयक नहीं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मूल अधिनियम की किसी भी धारा पर विचार किया जा सकता है। किन्तु यह कहने में कि हम दोनों में से किसी को भी नहीं चाहते। मूल अधिनियम पर विचार करने से कोई लाभ नहीं उस दशा में प्रवर समिति का कोई लाभ नहीं होगा। अन्यथा मूल अधिनियम की किसी भी धारा पर विचार किया जा सकता और उसे बदला जा सकता है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि सरदार हुक्म सिंह का संशोधन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रवर समिति को सभी संशोधनों पर विचार करने का अधिकार होगा, अधिनियम की उन धाराओं पर भी जिनमें वर्त्तमान विधेयक द्वारा संशोधन करने की अपेक्षा नहीं की गई है। हम बस यह जानना चाहते हैं : क्या प्रधान मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि प्रवर समिति को अन्य धाराओं पर भी विचार करने का अधिकार है जो कि इस विधेयक में व्यवहृत नहीं की गई हैं।

श्री ए० के० गोपालन : यदि प्रवर समित में हमारे कार्य करने का अर्थ यह है कि हम इस विधेयक को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात् बिना मुकदमा चलाए निवारक निरोध, तो मैं बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमें यह मंजूर नहीं है। इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने का ही हमने विरोध किया था जिसका अर्थ यह है कि हम बिना मुकदमा विरुद्ध किये जाने के सिद्धांत का विरोध करते हैं। संशोधन पास हो या न हो, यह दूसरा प्रश्न है। किंतु यदि प्रवर समिति में हमारी सदस्यता की स्वीकार्यता का यह अर्थ लिया जाय कि हम निवारक निरोध के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और हम केवल कुछ संशोधन मात्र करना चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम प्रवर समिति में भाग नहीं लेंगे।

अनेक माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : बार-बार उठने और उसी प्रश्न पर तर्क करने का कोई लाभ नहीं है। स्थिति इस प्रकार है। एक बार जब सदन किसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को तैयार हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वह उस सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है जिसके आधार पर कि विधेयक तैयार लिया गया है। इसके संबंध में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं हो सकती। व्यक्तिगत सदस्य इस के बारे में चाहे जो भी विचार रक्खें, मेरा तात्पर्य सदन के निर्णय से है।

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है, यदि माननीय प्रधान मंत्री प्रवर समिति में सभी धाराओं में किए संशोधनों पर विचार करने के लिये तैयार हैं— मूल अधिनियम की उन धाराओं में भी जिनको इस विधेयक में नहीं लिया गया है—तो मैं समझता हूं कि सदन द्वारा इस प्रकार का निदेश देना आवश्यक होगा जिससे कि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई पैदा न हो और यह प्रश्न न उठाया जाए कि प्रवर समिति ने विधेयक की मूल परिधि का अतिक्रमण किया है ।

श्री गाडगिल (पूना-मध्य): यदि प्रवर समिति न केवल इस विधेयक विशेष के अंतर्भूत सिद्धांतों पर वरन् मूल अधिनियम के अंतर्भूत सिद्धांतों पर भी विचार करेगी तो यह इस विधेयक के क्षेत्र के परे जाना होगा और यदि कोई संशोधन पास हो जाए तो पुनःप्रकाशित करने तथा मामले में बार बार जाने की आवश्यकता होगी ।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा यह होगा कि हम एक-आध घंटे के लिये इसे छोड़कर अन्य काम ले लें ।

श्री सत्य नारायण सिंहा: यह ठीक होगा ।

अध्यक्ष महोदय: इसी बीच में मैं एक संशोधन निबटा दूंगा, अर्थात् परिचालन के लिए किया गया संशोधन, और मुझे आशा है कि इसकी स्वीकृति के बाद सरदार हुक्म सिंह अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह: मुझे इस में आपत्ति नहीं होगी । यदि सरकार यही चाहती है कि सरकारी सदस्य का संशोधन ही पास हो तो मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय: अन्तर यह है कि आपका प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति के लिए है । तो मैं समझता हूं कि आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: जी हां ।

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले परिचालन के संशोधन को रक्खूंगा । तब सरदार हुक्म सिंह अपना संशोधन वापस ले लेंगे और तब हम प्रवर समिति की सदस्यता की बात को तय करेंगे और तत्पश्चात् सदस्यों को ध्यान में रखते हुए मतदान लिया जायगा ।

प्रश्न यह है कि :

"१५ अक्टूबर १९५२ तक विधेयक पर राय प्राप्त करने के लिए उसे परिचालित किया जाए ।"

सदन में मतदान हुआ पक्ष में ६८; विपक्ष में ३१२ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं ।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय: तो डा० पी० एस० देशमुख के प्रस्ताव में मैं जो सुधार कर रहा हूं वह यह है कि मैं उसमें निम्नलिखित नवीन पैरा जोड़ रहा हूं :

"कि संयुक्त समिति को मूल अधिनियम की उन धाराओं के भी सभी संशोधनों पर विचार करने का अधिकार है जिनमें कि प्रवर समिति को सौंपे जाने वाले इस विधेयक द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है ।"

अब हम कुछ समय के लिए इसे स्थगित करके प्रवर समिति के सदस्यों को चुनेंगे और इसे लगभग आधे घंटे पश्चात् अथवा अन्य निर्दिष्ट समय पर लेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इसे कल तक स्थगित नहीं किया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अभी इसे राज्य परिषद् में भी विचारार्थ जाना है और हमारे पास समय की बहुत कमी है। इस समय इसे स्थगित करके हम फिर एक बजे के पूर्व इसे लेंगे।

श्री सारंगधर दास: इसे आध घंटे तक स्थगित करने से तो कोई लाभ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: नाम अभी तैयार नहीं है। इसलिए बजाय इसके कि नामों पर यहां विचार-विमर्श करके सदन का समय लिया जाए, अच्छा यह होगा कि उन्हे बाहर तय कर लिया जाय। सदन के बाहर अधिक खुले प्रकार से चर्चा हो सकेगी। इसी बीच हम आगे की कार्यवाही करेंगे और जब भी नाम तैयार हो जाएं, प्रस्ताव पर मतदान लिया जाएगा।

श्री सत्य नारायण सिन्हा: अधिक से अधिक १२ बजे तक।

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं तैयार हूं। १२ बजे हम कार्यवाही रोक कर, इस प्र को लेंगे।

केन्द्रीय चाय बोर्ड (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "केन्द्रीय चाय बोर्ड अधिनियम १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

हमारे सम्मुख जो विधेयक है, उसका क्षेत्र बहुत सीमित है। केन्द्रीय चाय बोर्ड में सरकार जिन सदस्यों को नामनिर्देशित करती है वह उनके नाम से करती है, पद से नहीं। किंतु हर बार उसी पदाधिकारी को भेजना सरकार के लिए किंचित कठिन है। कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि किसी अन्य पदाधिकारी को भेजा जाए और जब तक कि वह संबंधित पदाधिकारी से त्यागपत्र न दिलवाये और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित न करे, यह सामान्यतः संभव नहीं है। प्रस्तुत संशोधन में एक स्थानापन्न को भेजने की सहूलियत की व्यवस्था की गई है। इस बात पर तर्क करना विषय के परे होगा कि नामनिर्देशित करने का अधिकार किसे है क्योंकि यह अधिकार संबंधित मंत्रालय को है और

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह देखना उनका काम है कि किसी पुराने पदाधिकारी को नाम निर्देशित किया जाए जिससे कि सरकार तथा उद्योग के हितों को हानि न पहुंचे। सार रूप में विधेयक का यही क्षेत्र है।

मैं यह पूर्वाशा करता हूं कि, गलत अथवा सही, चर्चा मूल अधिनियम के समस्त क्षेत्र पर होगी--क्या उसे पुन रीक्षित किया जाए, क्या नये हितों को जो अब अस्तित्व में आ गए हैं और अब तक जिन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, प्रतिनिधित्व दिया जाए इत्यादि। इन सब बातों पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की टिप्पणी होगी ही। किंतु प्रारम्भ में ही मैं सदन को एक सामान्य आश्वासन देना चाहूंगा। ऐसे अनेक मामले हैं जिनके प्रशासन के लिये मेरा मंत्रालय जिम्मेदार है--जैसे केन्द्रीय चायबोर्ड अधिनियम, केन्द्रीय चाय अनुज्ञापन समिति संबंधी कानून, कहवा विक्रय बोर्ड, रेशम बोर्ड इत्यादि। मैं यह मानता हूं कि इन सब मामलों में मूल अधिनियम ऐसे समय पास किए गए थे जब कि पूरी परिस्थितियां हमारे सामने नहीं थी, और इसलिए पुनर्विलोकन अत्यन्त आवश्यक है। इस पुनर्विलोकन में सरकार को यह देखना होगा कि उन हितों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय जिनका इस समय बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है अथवा

पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है । इन सब बातों का इस समय निर्देश करने से मेरा मतलब सदन को यह आश्वासन देना है कि इन सब अधिनियमों के पुनर्विलोकन का प्रश्न मेरे विचाराधीन है । संसद् के स्थगित हो जाने पर कुछ अधिक समय मिलने पर मैं इसको ध्यानपूर्वक देखूंगा । मैं इस बात का वायदा नहीं कर सकता कि किस तारीख तक मैं संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकूंगा । मैं समझता हूं कि इस आश्वासन से उन माननीय सदस्यों को संतोष हो जायगा जो कि यह अनुभव करते हैं कि मूल अधिनियम में संशोधन होना चाहिये ।

किन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तुत विधेयक का संबंध इस छोटी सी बात से है कि सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजे, मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को बिना अधिक चर्चा के पास कर देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० सी० गुहा (शांतीपुर) : मैं इस बात में माननीय मंत्री जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है । किंतु वास्तविकता में इसका प्रभाव केन्द्रीय चाय बोर्ड की रचना पर पड़ता है । ब्रिटिश हितों का हमारे चाय उद्योग पर काफ़ी नियंत्रण है । चाय उद्योग के कुछ भाग तो पूर्णतया ब्रिटिश नियंत्रित हैं । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि यह अधिनियम पुराना पड़ चुका है ।

केन्द्रीय चाय बोर्ड की वार्षिक आगम लगभग एक करोड़ रुपये है जिस में से ५० लाख रुपये अंतर्राष्ट्रीय चाय बोर्ड को दे दिये जाते हैं जिसमें कि भारत की कोई आवाज़ ही नहीं है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया स्मरण रखें कि केन्द्रीय चाय बोर्ड (संशोधन) विधेयक का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है ।

श्री ए० सी० गुहा: किन्तु केन्द्रीय चाय बोर्ड इन सब बातों को नियंत्रित करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है । यदि सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य किसी कारणवश बैठक में उपस्थित न हो सके तो प्रश्न उठता है कि उसका स्थान रिक्त क्यों रहने दिया जाये ? उसका स्थानापन्न क्यों न नियुक्त किया जाए ? सरकार का केवल यही कहना है कि नाम निर्देशित सदस्य कुछ दशाओं में अपने स्थानापन्न को अपना अधिकार सौंप दें । यह बड़ी सरल सी स्थिति है । इसलिए चाय बोर्ड की रचना, इसे किस प्रकार परिवर्तित किया जाए, इत्यादि सामान्य सिद्धांतों के प्रश्न पर यहां विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री ए० सी० गुहा: विधेयक केन्द्रीय चाय बोर्ड की रचना के संबंध में है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं पहले बतला चुका हूं कि मैं इस बात को पूर्णतया अनुभव करता हूं कि इस अधिनियम का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है और मैं सदन को वचन भी दे चुका हूं कि मैं इसका पुनर्विलोकन करके यथासंभव शीघ्र ही एक संशोधक विधैयक प्रस्तुत करूंगा । इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर और अधिक चर्चा अनावश्यक है ।

श्री ए० सी० गुहा: इसके साथ साथ हमें यह अनुभव भी करना चाहिये कि चाय उद्योग एक संकटग्रस्त स्थिति से होकर गुज़र रहा है और कुछ सीमा तक इसकी ज़िम्मेदारी केन्द्रीय चाय बोर्ड पर है.....

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य को फिर याद दिलाता हूं कि यह बात इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आती । इसमें मूल अधिनियम के एक अंश मात्र का संशोधन,

[उपाध्यक्ष महोदय]

करने की अपेक्षा की गई है । इसलिए मैं समझता हूं ये सब तर्क वैसे कितने ही लाभदायक क्यों न हों, विधेयक के सिद्धांत का उनसे कोई संबंध नहीं है ।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस सरकारी प्रतिनिधित्व से अब तक चाय-उद्योग के हितों की कोई रक्षा नहीं हुई है । इसलिए चाय बोर्ड में ये किसी सरकारी पदाधिकारी पर न छोड़कर सरकार द्वारा किया जाना चाहिये । अथवा इस प्रकार का कोई उपबन्ध होना चाहिये कि संबंधित पदाधिकारी नामनिर्देशन से पूर्व उसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त कर ले ।

मैं समझता हूं कि चाय उद्योग तथा वित्त मंत्री को जो कठिनाई हो रही है वह वाणिज्य मंत्रालय के बोर्ड में नियुक्त प्रतिनिधियों का अपना कर्त्तव्य भली भांति पालन न करने के कारण हो रही है । बोर्ड की स्थापना १९३३ में हुई थी और सदा लंदन में चाय बाज़ार रखकर लगातार यह चलता रहा है जिससे कि भारतीय चाय उत्पादकों को हानि हुई है तथा इंग्लेंड द्वारा पूरा लाभ कमाया गया है । चाय बोर्ड के सदस्य अधिकतर ब्रिटिश सरकार के नामनिर्देशित व्यक्ति थे और उन्हीं के.....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान् सूचनार्थ मैं बतला दूं कि चाय बोर्ड अधिनियम सन् १९४९ में पास हुआ था और चाय बोर्ड भी १९४९ में बना था । ब्रिटिश का इससे कोई संबंध नहीं ।

श्री बी० दास: मेरा तात्पर्य दूसरी चीज़ से है । चाय बागान के मालिकों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहता । समस्त चाय अधिनियम ही दोहराया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है । किंतु प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्र इस प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देता । इस में सिर्फ एक बात व्यवहृत की गई है कि यदि सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके तो वह रिक्त स्थान भरा जाय अथवा नहीं । माननीय सदस्य केवल यह कह सकते हैं कि मूल अधिनियम का पुनर्विलोकन किया जाय और एक नया अधिनियम सामने लाया जाय । माननीय मंत्री जी इसके लिए तैयार हैं । उन पर यह ज़ोर डाला जा सकता है कि यदि संभव हो तो संशोधक विधेयक इसी सत्र में लाया जाय । किंतु जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसके संबंध में और अधिक चर्चा करना संगत नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: स्थानापन्न को नामनिर्देशित करने का कार्य उस आदेश के अनुसार था कि अमुक अमुक को सभापति बनाया जाए और वह व्यक्ति एक अंग्रेज़, अवश्य ही उन्हीं का आदमी रहा होगा जो कि इंग्लेंड के व्यापारिक विकास और इंग्लेंड की ही समृद्धि में विश्वास करता होगा, भारत की में नहीं । हमें शर्म महसूस होती है । वर्त्तमान नामनिर्देशितों से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार को शीघ्र कदम उठाना चाहिये हम उन्हें नहीं चाहते । हमारे लिए यह शर्म और अपमान की बात है कि अंग्रेज़ चाय के दलाल और दूसरे एजेंट इस प्रकार हमारा शोषण करें । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि 'क' के स्थान पर 'ख' को नियुक्त कर दिया जाए, किंतु वे देश भक्त होने चाहिए ।

श्री आर० के० चौधरी : जहां तक नाम निर्देशित व्यक्तियों के कार्यकरण का प्रश्न है, मुझे सिल्क बोर्ड का सदस्य होने के नाते उसका अनुभव है । सिल्क बोर्ड में भी सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाता था । कुछ

मामलों में टेकनीकल ज्ञान आवश्यक है और वह टेकनीकल ज्ञान केवल सरकार द्वारा भेजा गया सदस्य प्रदान कर सकता है। उदाहरणार्थ किसी राज्य विशेष में रेशम उद्योग की स्थिति का उद्योग-संचालक ही को ठीक ज्ञान हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि सिल्क बोर्ड की प्रारम्भिक बैठक में बोर्ड में आसाम से कोई प्रतिनिधि नहीं था। परिणाम यह हुआ कि बोर्ड को काफी दिक्कत आई क्योंकि उसे कताई की मशीनों का ज्ञान नहीं था। बोर्ड कुछ कताई मशीनों के अनुसंधान का विचार प्रदान नहीं कर सका। उसी प्रकार यदि केन्द्रीय चाय बोर्ड में भी किसी ऐसे सदस्य के स्थान पर जिसे कि विषय विशेष का टैक्नीकल ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जाये जो कि विषय के बारे में कुछ नहीं जानता तो यही बात होगी। सिल्क बोर्ड में हम देखते थे कि किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर जो अन्य व्यक्ति उस के स्थान पर आता था उसे सम्बन्धित विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता था। जो व्यक्ति मूलतः नियुक्त किया जाता था उसी का विषय वह वास्तव में होता था और उस के अनुपस्थित हो जाने पर बोर्ड के कार्य में काफी रुकावट पड़ती थी। सामान्यतः सरकारी पदाधिकारी जो कि किसी बोर्ड के सदस्य होते हैं किसी न किसी काम के बहाने से अपने को बहुधा अनुपस्थित कर देते हैं। और जब कि अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को भेजने का विकल्प उन के पास होगा तब तो वे सदा ही अनुपस्थित रहेंगे। जब कि चाय बोर्ड की वर्ष में केवल चार बार ही बैठक होती है तो सदस्यों को इस प्रकार के विकल्प की अनुमति नहीं होनी चाहिये अन्यथा बोर्ड उन के विशिष्ट ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकेगा।

श्री वल्ला तरास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय बोर्ड के जो चार सदस्य हैं वे कौन कौन हैं, उन के क्या पद हैं, उन में से कितने सदस्य कितने अवसरों पर बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके और उन की अनुपस्थिति का बोर्ड की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति उन सदस्यों के स्थान पर बोर्ड में भेजे जायेंगे उन के अधिकार क्या होंगे तथा वे किस पद के व्यक्ति होंगे। यह बात भी मैं जानना चाहूंगा कि ग़ैर सरकारी व्यक्तियों को अब तक बोर्ड पर क्यों नहीं रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के अन्य खंडों में ग़ैर सरकारी पदाधिकारियों के लिये भी उपबन्ध हो सकता है।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मेरा विचार था कि यदि इस विधेयक पर सामान्य चर्चा हो जाती तो माननीय मंत्री जी को चाय बोर्ड के कार्यकरण को पुनर्विलोकित करने का अवसर मिलता और जिस विधान को लाने का उन्होंने वचन दिया है उस को बनाने में भी सहायता मिलती। किन्तु चूंकि प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्र सीमित कर दिया गया है इसलिये मैं कुछेक बातें ही कहूंगा।

इस विधेयक में जिस कठिनाई का निवारण करने की अपेक्षा की गई है वह तभी उत्पन्न होगी जब कि सरकार के नाम-निर्देशित सदस्य केन्द्रीय चाय बोर्ड की बैठकों में उपस्थित न हो सकेंगे। किन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आयेंगे क्योंकि बोर्ड की बैठकें ही वर्ष में बहुत कम होंगी। फिर भी यदि ऐसे अवसर आते हैं तो यह बड़े खेद की बात है।

चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह वचन दिया है कि बहुत शीघ्र ही वह समस्त अधिनियम को पुनर्विलोकित करेंगे इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अभी पास करने की कोई

(श्री ए० एम० लिंगम)

बड़ी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस से अधिनियम के कार्य करण में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि इसे पास ही किया जाना है तो इस के सदस्यों के पदों को स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिये जिस से कि सदन जान सके कि वे उत्तरदायी व्यक्ति हैं या नहीं और वे सरकार तथा चाय उद्योग के मध्य सम्पर्क अधिकारी के कर्त्तव्य को निभा सकते हैं अथवा नहीं।

१९४९ के अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा चार व्यक्तियों को बोर्ड पर नाम-निर्देशित किया जाता है। किन्तु अब सरकार यह देखती है कि जो भी थोड़ी सी बैठकें होती हैं उन में भी लोग उपस्थित नहीं रह सकते। इस से यही पता चलता है कि सरकार को इस उद्योग के विकास में कितनी कम दिलचस्पी है। इस उद्योग से हमारे देश का लगभग एक तिहाई निर्यात व्यापार होता है और १० लाख व्यक्ति इस में काम करते हैं। इसलिये मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार को इस उद्योग में वास्तव में उत्तरदायी व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : केन्द्रीय चाय बोर्ड में जो सदस्य नामनिर्देशित किये जाते हैं उन में से यदि कोई किसी बैठक में उपस्थित न हो सके तो उस के स्थान पर कार्य करने के लिये सरकार द्वारा पहले से ही एक स्थानापन्न पदाधिकारी को, उस सदस्य केसाथ साथ ही, नाम निर्देशित कर देना चाहिये। ऐसी दशा में उस स्थानापन्न को बोर्ड की कार्यवाही का ज्ञान रहेगा और वह सदस्य की अनुपस्थिति में उस के स्थान पर भली भांति कार्य कर सकेगा। अतएव मेरा निवेदन है कि सरकार इस सुझाव पर भी ध्यान दे कि बोर्ड के चारों सदस्यों का नाम-निर्देशन करते समय चार स्थानापन्नों को भी नामनिर्देशित कर दे।

श्री के० के० बसु० (डायमन्ड हार्बर) : मैं समझता हूं कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने का यही कारण है कि सरकार यह समझती है कि केन्द्रीय चाय बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि कोई प्रभावपूर्ण सेवा प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि वह अन्य कार्य के कारण बोर्ड की बैठक में उपस्थिति नहीं रह सकता। इन बोर्डों में जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट उद्योगों के कार्यकरण की नीतियां प्रतिपादित करते हैं तथा उन्हें नियंत्रित करते हैं, अनुभव तथा ज्ञान की अनवरतता आवश्यक है। यदि सरकार अपने उप अथवा संयुक्त सचिव को भेजती है और उसे ऐन वक्त किसी आवश्यक कार्य से अन्य जगह जाना पड़ता है तो किसी अन्य व्यक्ति को वहां भेजना होगा जिसे कि वस्तु विषय का कोई ज्ञान नहीं है और वह व्यक्ति अपने नीचे के कर्मचारियों की सूचना पर निर्भर रहेगा, अपने खुद के ज्ञान पर नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत कर के सरकार उल्टा काम कर रही है। हमारे यहां एक राष्ट्रीय योजना आयोग है और हम अपने राष्ट्रीय धन में वृद्धि करने के लिये निकट भविष्य में ही अपने अर्थ तन्त्र और औद्योगिक साधनों का विकास करने जा रहे हैं। अतएव सरकार को ऐसे व्यक्तियों का एक संवर्ग स्थापित करना चाहिये जिस को औद्योगिक उपक्रमों का ज्ञान हो। भविष्य में जब कि सरकार किसी प्रतिनिधि को नामनिर्देशित करे तो उसे वास्तव में अनुभवी तथा चाय उद्योग का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार को मजदूरों का प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने के सम्बन्ध में भी एक और संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये था। इस देश में मजदूरों के अनेक संगठन हैं और उन में से अनेकों का सरकार की नीति से मत-वैभिन्न है। इस

लिये वहां मज़दूर संगठनों द्वारा नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि होना भी आवश्यक है।

श्री झुनझुवाला (भागलपुर मध्य) : यह संशोधन देखने से तो बड़ा साधारण सा प्रतीत होता है किन्तु यदि सरकार द्वारा बोर्ड में नामनिर्देशित सदस्यों को अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करने का अधिकार दे दिया जाए तो आगे के लिये एक बुरा पूर्व दृष्टान्त बन जायेगा। सरकार जिस व्यक्ति को भेजती है वह इस लिये कि उसे चाय उद्योग का विशिष्ट ज्ञान है। बोर्ड में कार्य करते करते उसे और भी ज्ञान हो जाता है। किन्तु यदि वह अपनी अनुपस्थिति में किसी और को भेज देता है तो मैं इसे उचित बात नहीं समझता। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र जो कि इस प्रस्ताव पर बोले हैं, इस के क्षेत्र को नहीं समझ सके हैं और विधेयक के खंड ३ को भी उन्हों ने भुला दिया है। बात ऐसी नहीं है कि सम्बन्धित पदाधिकारी बिना किसी परिस्थिति विशेष के तथा मर्जी चाहे जिसे अपने स्थान पर नामनिर्देशित कर दे। सरकार द्वारा नामनिर्देशित पदाधिकारी जिन परिस्थितियों में अपने स्थान पर बोर्ड की बैठक में जाने के लिये अन्य पदाधिकारी को नियुक्त करेगा उन पर खंड ३ के अनुसार विचार किया जायेगा। अतएव सरकार को वे परिस्थितियां बतलानी होंगी। यह मामला ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर भी सदस्य 'क' बैठक में न जा कर अपने स्थान पर 'ख' को नियुक्त कर दे जो उस काम के बारे में कुछ नहीं जानता।

इस बात का जिक्र किया गया है कि इन बोर्डों के सम्बन्ध में सरकार अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रही है। भूतकाल में तो सरकार ने शायद उन की उपेक्षा की थी। गत कुछ सप्ताहों से यह सदन चाय के मामले में जो रुचि ले रहा है और इस सबन्ध में मुझे जितने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा है उस से मुझे विदित हो गया कि बोर्ड में दो या तीन सरकारी प्रतिनिधि रखना आवश्यक है जो मुझे स्थिति से अवगत करते रहें कि क्या हो रहा है और मैं स्वयं ही, पहले से कहीं अधिक, बोर्ड तथा सरकार के मध्य संपर्क रहने की आवश्यकता को अनुभव करता हूं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे जिसे कि इस विषय का ज्ञान न हो। हो ऐसा सकता है कि मान लीजिये कि मंत्रालय का कोई संयुक्त सचिव बोर्ड का सदस्य है और किसी कारणवश वह बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, तो उस का कनिष्ट अधिकारी जो उस काम के चार्ज में होगा उस के स्थान पर जायगा। यह बहुत साधारण सा मामला है। इस में किसी भी ऐसी बात की उपेक्षा नहीं की गई है जो कि अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध हो।

मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक इस प्रश्न का सामान्यतः प्रश्न है मैं इस बात का भरसक प्रयत्न करूंगा कि इस अधिनियम को संशोधित करते हुए शीघ्र ही एक ऐसा प्रस्ताव पेश करूं जो कि सदन के अधिकतर सदस्यों को स्वीकार्य हो। मैं कोई निश्चित तिथि तो निर्धारित नहीं कर सकता किन्तु जो भी वचन मैं देता हूं वह निश्चय ही पूरा किया जायेगा। फिलहाल, मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र श्री गुहा तथा श्री झुनझनवाला द्वारा जो आशंका प्रकट की गई है वह निराधार है।

मद्रास के एक माननीय सदस्य बोर्ड में नामनिर्देशित सदस्यों के नाम जानना चाहिते थे। चारों सदस्य ये हैं :

श्री के० एन० कौल, भारत सरकार के संयुक्त सचिव वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

(श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)

श्री शरनेम, भारत सरकार के कृषि पदार्थ विक्रय परामर्श दाता ;

श्री के० आर० पी० आयंगर, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, और

श्री सुवर्ण, आब्रजक श्रमिकों के नियंत्रक, शिलांग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक पदाधिकारी ।

यह सच है कि इन में से कई पदाधिकारी सब बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके हैं ।

श्री कौल कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य हैं तथा चाय बोर्ड के सभापति ने हमारे पास प्रतिनिधान किया था कि यह अच्छा होगा कि जब श्री कौल बैठक में न जा सकें तो कोई स्थानापन्न उन की जगह आए । यही कारण कि हमें इस विधान के उपस्थित करने की आवश्यकता पड़ी । मैं यह भी बतला दूं कि चाय बोर्ड का सभापति भी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । श्री पदुकोट्टाई के प्रश्न का यही उत्तर है । मुझे आशा है कि इस स्पष्टीकरण के साथ सदन इस प्रस्ताव को पास कर देगा ।

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया ।

खंड २—(धारा ४ का संशोधन)

श्री ए० सी० गुहा : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत तो नहीं करना चाहता किन्तु मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ने इस विधेयक के खंड ३ पर ध्यान नहीं दिया है । किन्तु मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि इस खंड में केवल वे परिस्थितियां ही बतलाई गई हैं जिन में कि सरकार का नामनिर्देशित सदस्य अपने स्थानपर अन्य पदाधिकारी को भेज सकता है । इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि वह किस प्रकार नाम निर्देशित किया जायेगा । सामान्य सिद्धान्त स्वरूप मैं समझता हूं कि यह चीज़ नहीं छोड़ी जानी चाहिये थी । जो भी हो, चूंकि माननीय मंत्री जी ने विस्तृत विधेयक लाने का वचन दिया है, इसलिये मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड के सभापति को सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाता है । मैं समझता हूं कि आप को याद होगा कि जब प्राक्कलन समिति में हमें इस बोर्ड की कार्यवाहियों को पुनर्विलोकित करने का अवसर मिला था तो गत सभापति के कार्यों की भी जांच की गई थी और यह बतलाकर मैं शायद कोई गोपनीय भेद ज़ाहिर नहीं करूंगा कि हम लोग इस बोर्ड की कार्यवाहियों से सन्तुष्ट नहीं थे । किसी भी दृष्टि से यह बोर्ड भारतीय हितों के प्रतिनिधि स्वरूप कार्य नहीं कर रहा था । मैं जानता हूं कि लगभग ८० प्रतिशत पूंजी ब्रिटिश है । किन्तु फिर भी चाय बोर्ड एक ऐसा संगठन है जिसे भारतीय हितों की रक्षा करना चाहिये । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी देखेंगे सही व्यक्ति को नाम निर्देशित किया जाये जो कि अंग्रेज़ी हितों की कठपुतली न हो ।

श्री बी० दास : मैं एक शब्द कहना चाहता हूं । जब मैं ने भाषण दिया था उस समय सभापति का दृष्टान्त ही मेरे मस्तिष्क में था । जहां तक मुझे स्मरण है, सभापति ने कभी भी भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया । वह सदा अंग्रेज़ी पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता रहा है । भूतकाल में जो भी हुआ हो, मुझे आशा है कि अब भारत सरकार ब्रिटिश पूंजीपतियों से आदेश नहीं लेगी और माननीय मंत्री जी शीघ्र ही एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

श्री बंसल (झज्जर रिवाड़ी) : जब कोई प्रतिनिधि अनुपस्थित हो तो स्थानापन्न को नामनिर्देशित करने के अधिकार का प्रयोग करना एक ऐसा सिद्धान्त है जो मेरी जान में कितनी ही समितियों में स्वीकार

किया गया है। मुझे एक दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी अनुभव है और मैं जानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की मुख्य शासी निकाय के सदस्यों को भी बैठक में उपस्थित न हो सकने की दशा में, अपने स्थानापन्न नामनिर्देशित करने का अधिकार है। इस का एक लाभ यह और भी है कि उन सदस्यों के पश्चात् उन का स्थान ग्रहण करने के लिये कनिष्ठ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण मिल जाता है। यदि हम सदैव सब स्थानों पर वरिष्ठों को ही नियुक्त करते रहें और नई पीढ़ी के लोगों को अवसर न दें तो हम नई पीढ़ी को किस प्रकार प्रशिक्षित कर सकेंगे? इसलिये मुझे आशा है कि सदन इस संशोधन में बिना कोई परिवर्तन किये इसे पास कर देगा।

खंड १, २ और ३ विधेयक का अंग बना लिये गये।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

विधेयक पास हुआ।

रक्षित तथा सहायक वायु सेना विधेयक

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कुछ रक्षित वायु सेनाओं तथा एक सहायक वायु सेना के निर्माण तथा विनियमन और उनसे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक बहुत साधारण है। आधुनिक रक्षा संगठन में यह अत्यावश्यक हो गया है कि हम सशस्त्र सेनाओं की प्रत्येक शाखा में कुछ रक्षित सेनाओं की व्यवस्था करें जिस से कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा संकटकाल में बुला भेजा जाये। थल तथा नौ सेनाओं के सम्बन्ध में पहले से यह व्यवस्था है। इस विधेयक में वायसेना के लिये व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है। विधेयक में तीन विभिन्न प्रकार की रक्षित सेनाओं की व्यवस्था है। सर्वप्रथम तो स्थायी रक्षित वायु सेना है, फिर एक वायुरक्षा रक्षित सेना होगी और तीसरी एक सहायक वायु सेना है। विधेयक के अध्याय २ में स्थायी रक्षित वायुसेना को व्यवहृत किया गया है। इस में उक्त रक्षित वायुसेना की रचना, उस में लोगों के लिये जाने के ढंग किन श्रेणियों के व्यक्ति इस के सदस्य होंगे, उन का सेवाकाल क्या होगा इत्यादि बातों की व्यवस्था की गई है। सहायक वायुसेना थल सेना की प्रादेशिक सेना का वायुसेना में प्रतिरूप है। यहां भी हम ने ऐसे उपबन्ध रक्खे हैं जो इस बात को व्यवस्थित करेंगे कि इस सहायक वायु-सेना की रचना का दशाओं में इसे क्या प्रबन्ध किया जाये, किन दशाओं में इस निर्मित तथा प्रशिक्षित किया जाये और कब यह कार्य करे

लक्ष्यों तथा कारणों के विवरण में विधेयक के उपबन्धों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। इन उपबन्धों में ज्यादा कुछ नहीं है। स्थायी वायुसेना के मामले में पदाधिकारी तथा वैज्ञानिकों का अपनी सेवा अवधि पूरी कर लेने के पश्चात् स्वयं ही इस रक्षित सेना में स्थानान्तरण हो जायेगा। वास्तव में इस समय जो व्यवस्था है उस में प्रत्येक पर यह बाधता है कि जब इस प्रकार की रक्षित सेना निर्मित की जायेगी तो उन्हें उस में शामिल किया जा सकता है और जब भी आवश्यकता हुई उन्हें सेवा के लिये बुलाया जा सकता है। जहां तक वायुरक्षा रक्षित सेना का मामला है यह वास्तव में उन लोगों के लिये है जो कि विमान चालक रहे हैं अथवा जिन्हों ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो कि वायुसेना में कार्य करने के लिये आवश्यक है। पहले तो उन्हें अपने को पंजी-कृत कराना पड़ता है और तत्पश्चात् प्रत्येक को प्रशिक्षण अथवा सेवा के लिये बुलाया जा सकता है। सहायक वायुसेना कुछ कुछ

[श्री गोपालस्वामी]

थल सेना की सशस्त्र सेना के प्रकार की है। मैं सदन का ध्यान विधेयक के २६ वें उपबन्ध की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रशिक्षण अथवा सेवा के लिये दोनों में जो भी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, बुलाया जा सकता है। प्रशिक्षण अथवा सेवा के लिये उन्हें अपनी नागरिक नौकरी छोड़नी पड़ती है। प्रशिक्षण अथवा सेवा के दौरान में उन्हें स्थायी वायु सेना के पदों के अनुसार ही वेतन मिलता है। उन के दृष्टिकोण से कभी कभी यह वेतन पर्याप्त नहीं होता और यह भी खतरा है कि जब उन्हें रक्षित सेना में कार्य करने के लिये बुलाया जाय और जब वे वापस जायें तो उन का पहले वाला मालिक उन्हें दोबारा रखने में आनाकानी करे। इस खंड के अन्तर्गत मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ऐसे लोगों को नौकरी पर पुनः रखले और यदि वह आनाकानी करे तो एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिस की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है, मामले में जांच की जायेगी जो या तो उस मालिक को इस दायित्व से बरी कर देगा अथवा उसे इन व्यक्तियों को, जो भी शर्तें वह उपयुक्त समझे उन पर, उसे पुनः नौकरी में रखने का आदेश देगा; अथवा विकल्प के रूप में वह अधिकारी उस मालिक को सम्बन्धित व्यक्ति को पुनः नौकरी पर न रखने के बदले उचित क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है।

निस्सन्देह इस में एक कमी है, नामतः इस विधेयक में इस बात का कोई उपबन्ध नही है कि जो वेतन कोई व्यक्ति पहले से ही पा रहा है और जो वेतन उसे रक्षित सेना की सेवा अथवा प्रशिक्षण के समय मिलेगा उस अन्तर का क्या होगा। सशस्त्र सेनाओं की अन्य दोनों शाखाओं के सम्बन्ध में हम ने इस मामले पर विचार किया है। हम अवश्य ही यह चाहते हैं कि जब इन लोगों को इस काम के लिये बुलाया जाये तो उन्हें कोई आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिये। हम आशा करते हैं उन के मालिक उन के साथ न्याय ही बरतेंगे। वास्तव में हम ने हाल में उन सरकारी विभागों को जिन के कर्मचारी इस प्रकार बुलाये जा सकते हैं यह परिचालित कर दिया है कि वे इस आर्थिक अन्तर को पूरा करें। निजी मालिकों से भी इस सम्बन्ध में हम ने अपील की है। इस मामले को हम विधेयक पर विस्तृत रूप से विचार करते समय ले सकते हैं।

शेष, केन्द्रीय सरकार में एक प्राधिकारी है जिसे यह शक्ति है कि इस विधेयक में जो दायित्व रक्खा गया है उसे निभाना किसी कर्मचारी के लिये असुविधाजनक अथवा परेशान करने वाला हो तो उस कर्मचारी को इस दायित्व से वह मुक्त कर सकता है।

इस प्रस्ताव के, जिसे कि मैं बिल्कुल साधारण समझता हूं, मुझे अनेक संशोधन प्राप्त हुए हैं। कुछ संशोधनों में यह सुझाव दिया गया है कि विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जिस से कि वहां इस की पूरी जांच हो और तब सदन के सम्मुख यह पुनः विचारार्थ प्रस्तुत हो। मैं इस प्रवर समिति के सुझाव के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु मैं दो शर्तें रखना चाहूंगा : (१) प्रवर समिति दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति हो और (२) प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन समुचित समय में दे दे जिस से संसद् के चालू सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही हम इसे व्यवहृत कर सकें जिसका अर्थ होगा कि प्रतिवेदन हमें २८ तारीख तक अथवा अधिक से अधिक ३० तारीख तक मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव पर कई

संशोधन है किन्तु किसी माननीय सदस्य ने संयुक्त प्रवर समिति को इसे सौंपने का प्रस्ताव नहीं रखा है ।

श्री ए० सी० गुहा (शांतीपुर) : माननी मंत्री जी स्वयं इसे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री गोपालस्वामी : मेरा सुझाव है कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन में से एक सदस्य मेरे बताये गये पदों के अनुसार संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करें और सदन को केवल संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या तथा इस सदन के जो सदस्य उस में भाग लेंगे उन के नाम निर्धारित करने होंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विधेयक एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए . . . . .."

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य कितने हों ।

श्री गोपालस्वामी : बीस और दस ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस सदन से बीस और दूसरे से दस ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"इस विधेयक को दोनों सदनों की ३१ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय । सदस्य इस सदन के हों, नामतः ,

मेजर जनरल जे० के० भोंसले, श्री शाह नवाज खां, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री पी० टी० चाको, श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चैट्टियार, श्री टी० सुब्रह्मण्यम, चौधरी रघुबीर सिंह, प्रो० एन० सी० लस्कर, श्री उमाचरन पटनायक, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री गिर्राज शरण सिंह, श्री आर० एस० राव, श्री रामेश्वर साहू, श्री अम्बेश्वर प्रसाद सिन्हा, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री टी० आर० नेसवी, श्री जयपाल सिंह, श्री अजीत सिंह तथा प्रस्तावक और राज्य परिषद् से दस सदस्य;

संयुक्त समिति की बैठक का कोरम दस होगा,

अन्य बातों में, इस सदन के संसद् समितियों सम्बन्धी नियम तथा प्रक्रिया ऐसे परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जायें और यह सदन राज्य परिषद् से उपर्युक्त संयुक्त समिति में शामिल होने तथा परिषद् के नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम भेजने का निवेदन करता है ।"

श्री यू० सी० पटनायक : (घुमत्सूर) : विधेयक के प्रवर समिति के पास जाने से पूर्व मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है ।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान –रक्षित– अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, इस सदन की ऐसी प्रथा है कि विचार प्रक्रम पर वे सदस्य नहीं बोलते जो कि प्रवर समिति के सदस्य हों । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रथा का अनुसरण किया जायेगा अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस मे सन्देह नहीं कि यह प्रथा है, किन्तु यह विधेयक सीधा द्वितीय सदन को जायेगा । अन्य लोग इसे देख रहे हैं—३६ करोड़ व्यक्ति । उन्हें भी यह जानना चाहिये कि क्या क्या बातें हैं । जिन लोगों को इस विषय का विशिष्ट ज्ञान है वे वाद विवाद में बड़ा हाथ बंटा सकते हैं और इस मामले में सदस्यों को उन की प्रतिक्रिया जाननी चाहिये । मैं श्री पटनायक के मामले में अपवाद करता हूं ।

श्री यू० सी० पटनायक : प्रस्तावित संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य होते हुए भी आप ने मुझे बोलने का जो अवसर दिया

[श्री यू० सी० पटनायक]

उस के लिये मैं आप का आभारी हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक इतना साधारण नहीं है जितना कि माननीय रक्षा मंत्री ने बतलाया है वरन् मेरा यह विश्वास है कि इस सदन के सम्मुख आने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकों में से यह एक है और इस में नीति के अनेक प्रश्न सन्निहित हैं ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत की केन्द्रीय विधान-सभा के सन्मुख अब तक आने वाले रक्षा सम्बन्धी विधेयकों में यह सब से अच्छा विधेयक है । इस में बड़े बड़े प्रश्न सन्निहित है, जैसे वायु सेना का पुनर्संगठन, और इस में उस प्रगति को ध्यान में रक्खा गया है जो कि इस क्षेत्र में अन्य देशों में हुई है। इस विधेयक की महत्ता कई बातों के कारण है ।

सर्वप्रथम, इस में वायु सेना को पर्याप्त महत्ता दी गई है और उस पर जोर दिया गया है। अब तक भारत अपनी थल सेना को सबसे अधिक महत्ता देता रहा है तथा नौ सेना एवं वायु सेना की उपेक्षा की गई है। स्वतन्त्रता को प्राप्ति के पश्चात् वायु सेना पर हमारा जोर देना आवश्यक था क्यों कि आधुनिक युद्ध-प्रणाली में वायु सेना अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। यह आक्रमण तथा रक्षा दोनों का एक प्रभावपूर्ण साधन है। किन्तु फिर भी हम अपने रक्षा पर किये जाने वाले व्यय से देखते हैं कि अधिकतर व्यय थल सेना पर किया जाता है तथा नौ सेना एवं वायु सेना पर बहुत कम व्यय होता है। इस वर्ष रक्षा पर किये जाने वाले लगभग कुल २२६ करोड़ रुपयों में से थल सेना के भाग में १६९ करोड़ रुपये आते हैं और नौ सेना तथा वायु सेना पर क्रमशः १५ और २५ करोड़ रुपये। इस से प्रतीत होता है कि अपनी सेनाओं के बाद के दोनों भागों को हम उतनी महत्ता नहीं दे रहे हैं जितनी कि वर्तमान समय में अपेक्षा है। यदि आप इंगलैंड के आयव्ययक को देखें तो आप को पता चलेगा कि वे लोग थल की स्थायी सेना पर अपना व्यय धीरे धीरे कम कर रहे हैं और रक्षित सेनाओं, सहायक सेनाओं तथा वायु सेना पर अपना व्यय बढ़ा रहे हैं। इस लिये वायु सेना को महत्ता देना हमारे लिये वास्तव में बहुत आवश्यक है और इस विधेयक में अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ने अपनी स्थायी वायु सेना के नागरिक प्रतिरूप का निर्माण कर के उसे बलवान बनाने का प्रयत्न किया है ।

दूसरे इस विधेयक में, हमारी राष्ट्रीय कार्यवाही के सब से महत्वपूर्ण पहलू नामतः, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में, नागरिकों द्वारा भाग अदा करने की व्यवस्था है। स्थायी सेना के अतिरिक्त देश में सहायक तथा रक्षित सेनायें होने से सुरक्षा व्यय भी कम होता है और ये सेनायें हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति की तरह काम करती हैं। इस प्रकार इस विधेयक में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिक सहकारिता की व्यवस्था की गई है ।

तीसरे, यह विधेयक देश की छोटी सी वायु सेना में रक्षित सेनायें, वायुरक्षा रक्षित सेनायें तथा सहायक सेनायें जोड़ कर देश रक्षा व्यवस्था को दृढ़ करता है ।

चौथे, राष्ट्रीय रक्षा के मामले मे अनिवार्य भर्ती के लिये सिद्धान्त की स्वीकारिता का यह प्रथम द्योतक है । पच्छिम के अधिकतर देशों में, फ्रांसीसी क्रान्ति के जमाने से ही, किसी न किसी रूप में अनिवार्य भर्ती होती थी किन्तु इंगलैंड और अमरीका में सेनाओं में स्वेच्छा पूर्वक भर्ती की व्यवस्था थी। हाल ही में वहां भी अनिवार्य भर्ती की प्रथा लागू कर दी गई है। हमें भी यह देखना आवश्यक है कि इस सिद्धान्त को हम कहां तक अपना सकते हैं ।

पश्चिमी देशों में सहायक सेनायें, रक्षित सेनायें तथा प्रादेशिक सेनायें व्यवस्थित कर के देश का नागरिक-सैन्य सहकार वर्द्धित किया जाता है तथा जनता राष्ट्र-रक्षा की भावना की ओर प्रवृत होती है। इस विधेयक में भी कुछ इसी प्रकार के नागरिक-सैन्य सहकार का प्रयत्न किया गया है।

इंगलैंड में नागरिक-सैन्य सहकार सन् १९०७ में लार्ड हल्डेन की प्रादेशिक सेना योजना के साथ प्रारम्भ हुआ। इन प्रादेशिक सेनाओं के संगठन के लिये वहां रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है वरन् यह कार्य थलसेना परिषद्, वायु सेना परिषद् तथा नौ सेना विभाग के अन्तर्गत काउंटी संघों द्वारा किया जाता है। इन काउंटी संघों में विश्वविद्यालयों, मालिकों मजदूरों इत्यादि नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रहते हैं। इंगलैंड का अधिनियम हमारे अधिनियम की तरह का नहीं है। जिस में केवल अपराधों तथा दण्ड का उपबन्ध हो, संगठन की कोई व्यवस्था हो। इंगलैंड के अधिनियम में संगठन के पहलू पर ध्यान दिया गया है—किस प्रकार विभिन्न एककों को संगठित किया जाये, किस प्रकार जन-रुचि उत्पन्न की जाय इत्यादि। काउंटी संघों का महत्वपूर्ण पहलू नागरिक सहकारिता है। यह रक्षा प्राधिकारियों की नीति से अपने को अवगत रखता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं को भी देखता है। इस संगठन का एक अन्य पहलू स्थानीय संघ है जो स्थानीय सहानुभूति उत्पन्न करते हैं तथा राष्ट्रीय सेना के लिये सर्वोत्तम व्यक्ति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यह चीज इंगलैंड में सन् १९०७ में प्रारम्भ हुई थी और भारत में हम ने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। प्रस्तुत प्रयास के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

रक्षा सम्बन्धी मामलों में अब तक प्रस्तुत किये गए विधेयकों में यह विधेयक यद्यपि सर्वोत्तम विधेयक है तथापि इस का यह अर्थ नहीं हो सकता कि इस में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सदन के सभी सदस्य जो कि रक्षा सम्बन्धी मामलों में रुचि रखते हैं इस विधेयक में सुधार करने के अपने सुझाव अवश्य ही भेज दें क्योंकि हम इस विधेयक को अच्छे से अच्छा बनाने के लिये कटिबद्ध हैं।

सर्व प्रथम तो मुझे वित्तीय ज्ञापन पर आपत्ति है जिस में कहा गया है कि यह विधेयक ऐच्छिक विधेयक है अर्थात् इसे तभी क्रियान्वित किया जाएगा जब कि रुपया उपलब्ध होगा। मेरा निवेदन है कि यदि हम इस प्रश्न को गम्भीरतापूर्वक देखें तो अनुभव करेंगे कि हमें रक्षा मंत्री से किसी भी प्रकार यह कहना ही होगा कि अन्य मदों में से कटौती कर के इस मद के अन्तर्गत कुछ राशियों की व्यवस्था करें। इंगलैंड ने अपना रक्षा संगठन सहायक तथा रक्षित सेनाओं में बढ़ौती कर के ही जिन में व्यय भी कम बैठता है तथा नागरिकों की सहानुभूति और सहकारित भी प्राप्त होती है निर्मित किया है। अतएव मैं कहूंगा कि विधेयक को ऐच्छिक बनाने की अपेक्षा यह सदन तथा संयुक्त प्रवर समिति इसे प्रभावशाली विधान बनाने का प्रयत्न करें तथा सहायक और रक्षित सेनाओं का निर्माण करायें। वायु सेना आज कल रक्षा संगठन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग बन गई है। अभी हाल में आप ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि अमेरिका थल सेना पर अपना खर्च घटा कर वायु सेना पर बढ़ा रहा है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि केवल स्थायी वायु सेना में विस्तार कर के ही नहीं वरन् सहायक तथा रक्षित सेनाओं को भी विकसित कर के हम अपनी वायु सेना को पुनर्संगठित करें।

[श्री यू० सी० पटनायक]

कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम केवल प्रवर समिति की ही राय नहीं वरन् अन्य माननीय सदस्यों का भी पथ प्रदर्शन चाहते हैं, विशेषकर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में । पहला प्रश्न अनिवार्य भर्ती का है । हम इस विधेयक में विमान चलकों, नागरिक पदाधिकारियों तथा वायु सम्बन्धित भूमि इंजीनियरिंग एवं अन्य कार्यों में प्रशिक्षित नागरिकों को अनिवार्य रूप से बुला सकेंगे । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं व्यक्तिगत रूप से इस का स्वागत करता हूं किन्तु फिर भी इस विषय पर अन्य माननीय सदस्यों का मत आवश्यक है और मुझे आशा है कि इस विषय पर सामान्य चर्चा होते समय केवल एक दो ही सदस्य नहीं . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी रखें । मैं पहले बचे हुए निवारक निरोध विधेयक को लेता हूं । मैं इसे पहले सदन के सम्मुख पेश करूंगा और तत्पश्चात् वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "यह विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए ; इस समिति के ३० सदस्य हों, नामत:
>
> १. श्री एम० अनन्तशयनम अयंगर
> २. श्री हलहर्वी सीताराम रैड्डी
> ३. श्री बलवन्ते गोपाल जी मेहता
> ४. श्री नरेन्द्र पो० नथवानी
> ५. श्री गणेश सदाशिव अल्तेकर
> ६. श्री विनायक पतस्कर
> ७. श्री वी० शिवा राव
> ८. श्री ए० एम० टामस
> ९. पंडित अलगू राय शास्त्री
> १०. श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
> ११. श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
> १२. श्री फीरोज़ गांधी
> १३. श्री नरहर विष्णु गाडगिल
> १४. श्री कोथा रघुरामय्या
> १५. पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा
> १६. श्री सैयद अहमद
> १७. श्री ए० के० वसु
> १८. श्री एस० वी० रामास्वामी
> १९. श्री देवकांत बरुआ
> २०. श्री जयपाल सिंह
> २१. श्री जसवन्त राय
> २२. डा० कैलाश नाथ काटजू
> २३. श्री हुक्म सिंह
> २४. डा० ए० कृष्णास्वामी
> २५. श्री एन० सी० चटर्जी
> २६. श्री सारंगधर दास
> २७. श्री के० ए० दामोदर मेनन
> २८. श्री ए० के० गोपालन
> २९. श्री शंकर शांताराम मोरे
> ३०. डा० पंजाबराव एस० देशमुख . . .
>
> और राज्य परिषद् से १२ सदस्य"
>
> "संयुक्त समिति को मूल विधेयक की उन धाराओं पर भी विचार करने का अधिकार है जिनके संशोधन की इस विधेयक में अपेक्षा नहीं की गई है ;
>
> "संयुक्त समिति की बैठक के लिए कोरम संयुक्त समिति के एक-तिहाई सदस्यों का होगा ;
>
> "समिति इस सदन को २९ जुलाई, १९५२ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

"अन्य बातों में, इस सदन के संसद् संबंधी नियम तथा प्रक्रिया ऐसे परिवर्त्तनों सहित लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं;

"यह सदन राज्य परिषद् से उपरियुक्त संयुक्त समिति में शामिल होने तथा परिषद् के नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम भेजने का निवेदन करता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० के० गोपालन : श्रीमान्, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार करके मैं इसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहा हूं । इसी शर्त के साथ मैं प्रवर समिति का सदस्य रहूंगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं भी अपनी तथा अपने साथियों की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । हम इस विधेयक के ऐसे प्रत्येक खंड और धारा को संशोधित करने के पक्ष में हैं जो हमें स्वीकार्य नहीं है और इसी शर्त पर हम प्रवर समिति में कार्य करेंगे ।

श्री सारंगधर दास : मेरा भी यही कहना है । मेरा और श्री दामोदर मेनन का प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि हमने विधेयक के सिद्धांत को मान लिया है । हम संपूर्ण विधेयक के विरुद्ध हैं और प्रत्येक खंड पर नए सिरे से विचार करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं भी इन घोषणाओं में सम्मिलित हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव की भाषा स्पष्ट है । भाषा के अनुसार भी प्रवर समिति में इस पर विचार होगा ।

रक्षित तथा सहायक वायु सेना विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब रक्षित तथा सहायक वायु सेना विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा । श्री पटनायक ।

श्री यू० सी० पटनायक : जैसा मैंने बतलाया, वायु सेना संगठन में अनिवार्य भर्ती के प्रश्न पर इस प्रकाश में विचार करना होगा कि अन्य देशों में, विशेषकर इंग्लड और अमरीका में, इस संबंध में क्या किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न सन्निहित है कि ये सहायक सेनाएं देश में ही लड़ेगीं अथवा बाहर भी भेजी जायेंगी । इस प्रश्न पर ब्रिटिश लोक सभा में भी बहुत वाद-विवाद हुआ था और अन्त में यह निर्णय किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हे बाहर भी भेजा जायगा ।

अगला प्रश्न यह है कि हमारे अधिनियम में केवल अपराधी तथा दंड की ही व्यवस्था हो अथवा प्रादेशिक एवं सहायक सेनाओं के संगठन और नियंत्रण की भी । इस बात पर भी विचार करना है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रादेशिक तथा सहायक सेनाओं को असैनिक शासन की सहायता के लिए बुलाया जा सकता है अथवा नहीं । इंग्लेंड में सन् १९५० के अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हे असैनिक शासन की सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता । हमें संपूर्ण मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है : इसको किस प्रकार इतना आकर्षक बनाया जाए कि प्रादेशिक तथा सहायक सेनाओं में अधिक से अधिक लोग भर्ती हों । इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी बात जो ध्यान में रक्खी जाती है यह है कि उन्हें असैनिक शासन के सहायतार्थ न बुलाया जाए ।

एक ओर अन्य बात यह है कि सेवा की दशायें किस प्रकार आकर्षिक बनाई जाएं । इसमें सन्देह नहीं कि स्थायी सेना की भांति यहां भी वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था है । किंतु इंग्लेंड की तरह यदि यहां भी पुरस्कार दिए जाएं तो सेवा उनके लिए अधिक आकर्षक हो जाएगी ।

इसके पश्चात् साज-सामान की उप-

[श्री यु० सी० पटनायक]

लब्धता का प्रश्न है । हमसे कहा गया है कि इसमें समय लगेगा क्योंकि रुपए की कमी है और पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । किंतु हमें केवल सामान और प्रशिक्षण सुविधाऐं ही नहीं, आवश्यक परिमाण में लोगों की भी जरुरत है । उन्हीं प्रशिक्षण सुविधाओं से आप अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं । मैं अधिक विस्तार में तो नहीं जाना चाहता किंतु मेरा निवेदन है कि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन पर प्रवर समिति तथा सदन को विचार करने की आवश्यकता है ।

डा० एम० एम० दास: कोई भी जो इस देश को स्वतंत्र देखना चाहता है तथा यह चाहता है कि हम किसी भी आक्रमण के विरुद्ध अपने देश की रक्षा कर सकें वह इस विधेयक का पूरा पूरा समर्थन करेगा । हमारा देश अत्यन्त विशाल है और संसार में के अन्य देशों में दूसरे नम्बर पर ही इसकी जनसंख्या है । हमारी औद्योगिक सामर्थ्य तथा प्राकृतिक संसाधन विशाल हैं । अपने रक्षात्मक सामान के लिये विदेशों पर हमारी निर्भरता ने हमारी रक्षा को कमज़ोर बना दिया है । प्राकृतिक अथवा भौगोलिक संरक्षण का अब प्रश्न नहीं रहा है । हिमालय की रक्षा संबंधी महत्ता अब समाप्त हो चुकी है । अब तो वायु, थल तथा समुद्र तीनों रास्तों से हम आक्रमण के लिए खुले हुए हैं । इस पर भी हम अपनी रक्षात्मक सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर हैं । इस अंधकारमय परिस्थिति में एक आशामय ज्योति हमारा जन-साधन है । किंतु जन-साधन का पूर्णोपयोग करने के लिए उसका बौद्धिक स्तर उच्च होना चाहिए और साथ-साथ उच्चतम किस्म की सामग्री उन्हे प्रशिक्षित करने के लिए होनी चाहिए ।

जब यह विधेयक पास हो जायगा तथा क्रियान्वित होगा तो इससे चार महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होंगे । प्रथम, यह हमारी वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाएगा । दूसरे, हमारे यहां के अनेक होनहार युवक जो वायु सेना में कार्य करना चाहते हैं किंतु किसी न किसी कारण से वे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हे देश की सहायक सेना में भर्ती हो कर देश सेवा करने का अवसर मिलेगा । तीसरे, कीमती हवाई जहाज जो हमें ऊंचे ऊंचे मूल्यों पर खरीदने पड़ते हैं और जो प्रति दिन अधिक आधुनिक जहाजों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं, वे बेकार न होकर काम में आ जायेंगे । चौथे, हमारी वायु सेना के अवकाश प्राप्त अनुभव वृद्ध सैनिक, जिन्होंने कि इतने खर्चे पर प्रशिक्षण पाया था, खतरे और संकट के समय देश सेवा के लिए बुलाए जा सकेंगे । ये ऐसे लाभ हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

विधेयक पर विस्तृत रूप से विचार करने से कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं । सहायक वायुसेना हमारी थल सेना की प्रादेशिक सेना का प्रतिरूप है ; किंतु इसमें सेवा की शर्तें अपेक्षाकृत बहुत कठोर हैं । इंग्लैंड की सहायक वायुसेना को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो इस विधेयक में दिखलाई नहीं देते । सर्वप्रथम, इंग्लैंड की सहायक वायु सेना के सदस्यों की सेवा की शर्तें अथवा सेवा का क्षेत्र बदला नहीं जा सकता । दूसरे किसी भी आदेश द्वारा सहायक वायु सेना के सदस्य को उस एकक के अतिरिक्त और किसी भी एकक में या नियमित सेना में नहीं भेजा जा सकता जिसमें कि वह भर्ती किया गया था । तीसरे किसी को भी बिना मर्जी के नियमित वायु सेना में स्थानान्तरित नियुक्त अथवा संलग्न नहीं किया जा सकता । चौथे, सहायक वायु सेना के प्रत्येक सदस्य को, निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, स्वयं को स्थायी थल सेना में भर्ती कराने का हक

है । इन में से एक भी सुविधा या अधिकार इस विधेयक में नहीं दिया गया है ।

सहायक वायु सेना एक स्वेच्छिक सेना है तथा शर्तें इतनी कठोर कर दिए जाने पर इसमें कोई शामिल नहीं होगा । यदि कोई मालिक सहायक वायु सेना के सदस्य को पुन: रखने से इनकार करे उस दशा में उस सदस्य के लिए जिस क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है । मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति बिना अपने कसूर के अपने जीवन यापन के साधन से हाथ धो बैठता है उसके लिए छ: मास के वेतन की क्षतिपूर्ति कोई सांत्वना नहीं हो सकती । दूसरे, मैं सदन तथा माननीय मंत्री जी का ध्यान विधेयक में उपबन्धित "सक्षम प्राधिकार" की ओर आकर्षित करूंगा । इस "सक्षम प्राधिकार" को इस विधेयक के प्रशासन का संपूर्ण कार्य-भार सौंपा गया है । किंतु परिभाषा में बतलाया गया है कि यह "सक्षम अधिकार" एक वायु पदाधिकारी होगा । मेरा निवेदन है कि इतना उत्तर-दायित्वपूर्ण कार्य केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए । कुछ और भी बातें हैं जिन पर मैं उस समय चर्चा करूंगा जब कि विधेयक पर खंड प्रति खंड विचार होगा।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : जब से अंग्रेज़ लोग यहां से गये हैं, तब से हमारी सेना ज्यों की त्यों है । पुरानी व्यवस्था ही चल रही है । सेना की तीन शाखायें क्यों हों ? एक प्रशासन हो और वह समस्त सेनाओं को नियंत्रित करे । तीन शाखाओं में सुसंबद्धता स्थापित की जाए और एक ही प्रशासन द्वारा उन्हे नियंत्रित किया जाए जिससे कि वे भारत के सर्वोत्तम हित में काम कर सकें ।

बड़ी बड़ी थल सेनाओं की पुरानी प्रथा समाप्त हो चुकी है, पुरानी पड़ चुकी है । फिर भी सन् १९४७ की परिस्थितियों ने हमें ऐसा छोड़ा कि हम उसे जारी रख रहे हैं । ये परिस्थितियां काश्मीर का मामला तथा भारत-पाकिस्तान सीमान्त संबंधी थीं । किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम वही पुरानी प्रणाली चलाए चलें और अपनी थल सेनाओं पर होने वाले व्यय में कुछ कमी न ला सकें ।

कुछ मिनट पूर्व हम चाय उद्योग पर चर्चा कर रहे थे । जिस पर ब्रिटिश हितों ने आधिपत्य जमा रक्खा है । यही हाल सेना का है । हमारी जल सेना का सेनापति अंग्रेज है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी वायु सेना का प्रधान भी अंग्रेज़ ही है । यदि अभी वह गया नहीं होगा तो वही होगा । क्या यही हमारी प्रभुता है ? वास्तव में रक्षा के मामले में हमें अभी प्रभुता प्राप्त नहीं है । आप कभी अंग्रेज़ का विश्वास नहीं कर सकते । वह कभी आप के लिए भला आदमी नहीं हो सकता । उन लाखों रुपयों की राशि का क्या हुआ जो हमने जनरल बुसचर को रक्षा मंत्रालय के पुर्नसंगठन के लिए दी थी ? मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह वही जनरल बुसचर है जिसने हैदराबाद के भारतीय सेना के अभियान में बिलम्ब किया था । यह हम सब जानते ही हैं कि फील्ड मार्शल आचिनलेक जिन्होंने भारत में अवकाश-ग्रहण किया था पाकिस्तान में कालीन बनाने का कारखाना खोलने के नाम पर अमरीकी अड्डों की स्थापना का वहां प्रयत्न कर रहे हैं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी हमें यह बतलायेंगे कि उनके पूर्ववर्ती ने जनरल बुसचर को भारतीय सेना का इतहास लिखने के लिये इतनी राशि दी थी उसके बदले में उसे क्या कृति प्राप्त हुई ? यह पुस्तक आज तक प्रकाशित नहीं हुई । रक्षा मंत्रालय को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि कोम्पटन मैकेंज़ी अथवा जनरल बुसचर को कितना पारिश्रमिक तथा मार्ग व्यय दिया गया ।

[श्री बी० दास]

यह मामला संसद् के सामने क्यों नहीं लाया गया ?

मैं समझता हूं कि भारत सरकार की समस्त रक्षा नीति बड़ी ढचर चाल से चल रही है । यह बहुत गलत है । हमें स्वयं अपने तरीके से सोचना चाहिये । भारत में सेना की तीनों शाखाओं में परस्पर प्रतिद्वन्द्वता है और वे असंतुष्ट हैं । तीनों शाखाओं के सेनापति परस्पर सहयोग नहीं करते । जीपों के मामले में जो घोटाला हुआ वह इस मंत्रालय के इतिहास में सबसे निकृष्ट चीज़ रहेगी । उस दिन रक्षा मंत्री ने सदन में जो उत्तर दिया था उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय एक बज रहा है । क्या माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं ?

श्री बी० दास : मैं आधे घंटे तक और बोलूंगा ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार २४ जुलाई, १९५२ के साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।